

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 132/2013

संस्थित दिनांक-14.06.2013

फाईलिंग नंबर-230303010132013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-  
आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

### वि रू द्ध

1. अतुल पुत्र मानसिंह ओझा उम्र 22 साल  
निवासी बालाजी आयरन वर्क्स गोहद चौराहा
2. अरविन्द पुत्र पुरुषोत्तम ओझा उम्र 21 साल  
निवासी बालाजी आयरन वर्क्स गोहद चौराहा
3. मानसिंह पुत्र नाथूराम ओझा उम्र 62 साल  
निवासी बालाजी आयरन वर्क्स गोहद चौराहा

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
आरोपीगण द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता

### -:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 04 सितंबर- 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 25-1(1)(क)(क) आयुध अधिनियम 1959 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.03.13 का शाम करीब 7.00 बजे अपनी दुकान बालाजी आयरन वर्क्स स्थित ग्राम कीरतपुरा में गोहद रोड थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रान्तर्गत अवैध हथियार देशी कट्टा आदि बनाकर बेचने के लिये सह अभियुक्तगण मानसिंह, अतुल के साथ मिलकर देशी कट्टा बनाने के यंत्र एवं काठ के संदूक में एक अधिया व चार देशी कट्टा 315 बोर के अपने आधिपत्य व संज्ञान में रखे हुए वगैर वैध अनुज्ञप्ति के पाये गये जबकि वगैर वैध अनुज्ञप्ति के प्रतिसिद्ध आयुधों या प्रतिसिद्ध गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का अख्त्यार नहीं था।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि बालाजी आयरन वर्क्स के नाम से ग्राम कीरतपुरा थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रतिष्ठान जिसका प्रोप्राईटर पुरुषोत्तम झा है। यह भी स्वीकृत है कि आरोपी पुरुषोत्तम का पुत्र एवं मानसिंह का भाई तथा अतुल मानसिंह का पुत्र होकर पुरुषोत्तम का भतीजा है तथा वह सभी उक्त प्रतिष्ठान पर काम करते हैं। यह भी स्वीकृत है कि उक्त प्रतिष्ठान पर ट्रॉली बनाने का कार्य होता है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि थाना प्रभारी थाना गोहद चौराहा सुभाष पाण्डे को रोजनामचासन्हा क्रमांक-546/15.03.13 पर दर्ज मुखबिर सूचना मिली कि बालाजी आयरन वर्क्स गोहद चौराहा जहाँ पर ट्रॉली बनाने का काम होता है उस दुकान में मानसिंह ओझा अपनी दुकान में अवैध हथियार कट्टा अधिया आदि बनाकर बेचता है। तथा कट्टा बनाने का यंत्र अवैध रूप से दुकान में लगा रखा है जो अभी शटर खोलकर हथियार बना रहा है। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु मय फोर्स बताये स्थान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान में तीन आदमी काम कर रहे थे। उनमें एक आदमी दुकान का मालिक मानसिंह पुलिस को देखते ही पीछे तरफ भाग गया तथा पीछा करने पर पकड़ा नहीं जा सका। दो लड़के जो दुकान में बैठे अवैध हथियार बना रहे थे जिनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपने नाम अतुल पुत्र मानसिंह ओझा उम्र 20 साल तथा दूसरे ने अपना नाम अरविन्द पुत्र पुरुषोत्तम ओझा उम्र 19 साल का होना बताया। उनके पास में रखे हुए काठ के संदूक में एक अधिया व चार कट्टा रखे थे जिसमें एक अधबना था। दोनों लोग वहाँ पर लगी मशीनरी व औजारों से अन्य कट्टों का निर्माण कर रहे थे जिसके संबंध में कट्टा निर्माण करने व अवैध हथियार अपने कब्जे में रखने हेतु वैधता का लायसेन्स मांगा तो नहीं होना बताया। तब अतुल के कब्जे से दो कट्टा 315 बोर के एवं ग्राण्डर वॉक मशीन, सिकंजा, सडासी, कट्टा की नाल, वर्मा, एवं 12 बोर की नाल, छलवां नाल चार व अरविन्द के कब्जे से एक अधिया, एक कट्टा 315 बोर का, एक नाल, एक अधबना कट्टा, ग्राइण्डर मशीन एक हथौड़ा, प्लास, पीतल की डमी, राउण्ड, -1 रॉड-4, पहिया-1 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-1 व 2 बनाये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-3, 4 व 5 बनाये तथा अप0क्र0-60/13 पर धारा-25-1(1) क आयुध अधिनियम का प्र0पी0-4 का पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया एवं तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र ए 0सी0जे0एम0 गोहद न्यायालय में पेश किया गया। जहां से प्रकरण उपार्पित किए जाने पर माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

4. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 25-1(1)(क)(क) आयुध अधिनियम 1959 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से अपने बचाव में साक्षी शिवसिंह ब0सा0-1, रघुवीरसिंह ब0सा0-2, हरीशंकर ब0सा0-3 एवं पुरुषोत्तम ब0सा0-4 एवं रामकुमार प्रजापति ब0सा0-5 के कथन कराये गये हैं।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

अ- क्या आरोपीगण ने दिनांक 15.03.13 का शाम करीब 7.00 बजे अपनी दुकान बालाजी आयरन वर्क्स स्थित ग्राम कीरतपुरा में गोहद रोड थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रान्तर्गत अवैध हथियार देशी कट्टा आदि बनाकर बेचने के लिये सह अभियुक्तगण मानसिंह, अतुल के साथ मिलकर देशी कट्टा बनाने के यंत्र एवं काठ के संदूक में एक अधिया व चार देशी कट्टा 315 बोर के अपने आधिपत्य व संज्ञान में रखे हुए वगैर वैध अनुज्ञप्ति के पाये गये जबकि वगैर वैध अनुज्ञप्ति के प्रतिसिद्ध आयुधों या

प्रतिसिद्ध गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का अख्त्यार नहीं था?

**—::—निष्कर्ष के आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण**

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रणजीतसिंह (अ0सा0 1), दिनेश (अ0सा0 2), गुलाबचंद मीना (अ0सा0 3), सुरेश दुबे (अ0सा0 4) ए0एस0 तोमर (अ0सा 05), गोपसिंह (अ0सा 06), सुभाष पाण्डे (अ0सा 07) की साक्ष्य कराई गई है। तथा अभियोजन की ओर से प्र0पी0-1 लगायत-प्र0पी0-14 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।
7. अभियोजन के कथानक मुताबिक थाना गोहद चौराहा पर पुलिस को घटना दिनांक 15.03.13 का शाम 6.10 बजे मुखबिर से इस आशय की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी कि बालाजी आयरन वर्क्स गोहद चौराहा के पुरुषोत्तम व नाथूराम मानसिंह अवैध हथियार बनाने का काम कर रहे हैं और अवैध हथियार बनाकर रखे हैं जिस पर से सूचना का दर्ज करते हुए उक्त प्रतिष्ठान पर सूचना की तश्दीक हेतु एसआई सुभाष पाण्डे पुलिस बल में एसआई ए0एस0 तोमर, प्र0आर0 बृजराजसिंह, आरक्षक गुलाबचंद मीणा, उमेश, राजेश, सैनिक सुभाष, आरक्षक चालक अजय तोमर को लेकर अधिग्रहीत प्राईवेट वाहन से मौके पर जाना बताया है। अभियोजन की ओर से पुलिस बल में गये उक्त पुलिस कर्मियों में से गुलाबचंद मीणा, ए0एस0 तोमर और सुभाष पाण्डे को अभियोजन की ओर से साक्षी के रूप में परीक्षित कराया है। अन्य पुलिस बल में बताये प्र0आर0 और आरक्षकगण को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। इसलिये परीक्षित साक्षियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हुए अभियोजन की बताई घटना के संबंध में यह देखना होगा कि क्या अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल हुआ है क्योंकि प्रत्येक दाण्डिक मामले में प्रमाण भार हमेशा अभियोजन पर ही होता है।
8. मौके की की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज प्र0पी0-1 लगायत 4 एवं प्र0पी0-12 का सूचना पर बनाया गया तलाशी का पंचनामा और प्र0पी0-13 सी-1, सी-2 के रूप में रोजनामचासान्हा के दस्तावेज हैं। प्र0पी0-13 सी-1 का रोजनामचासान्हा जिसमें मुखबिर की सूचना एवं मुखबिर की सूचना को रोजनामचासान्हा नंबर-546 पर शाम 6.10 बजे दर्ज करना बताया है और रवानगी को रोजनामचासान्हा क्रमांक-547 पर शाम 6.15 बजे अंकित किया है जिसके संबंध में ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डे अ0सा0-7 ने अपनी अभिसाक्ष्य की कण्डिका-1 में साक्ष्य दी है और यह बताया है कि जो सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी उससे एसडीओपी को मोबाईल से अवगत कराया था और फोर्स को एकत्रित करके वे बालाजी आयरन वर्क्स की दुकान पर पहुंचे थे। प्र0पी0-1 लगायत 4 की कार्यवाही उसके द्वारा साक्षी रणजीतसिंह भदौरिया एवं आरक्षक गुलाबचंद मीणा के समक्ष करना बताई है जो दोनों पंच साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित भी कराये गये हैं
9. उक्त साक्षी गण में से रणजीतसिंह अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और यह कहा है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। वह आरोपीगण को जानता अवश्य है तथा गोहद चौराहा थाने पर गया था वहाँ पुलिस ने उसके थाने पर ही हस्ताक्षर करा लिये थे। उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी न कोई सामान उसके सामने जप्त हुआ था। जप्ती पत्रक प्र0पी0-1 व 2 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-3 व 4 पर वह ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करता है। किन्तु वह

थाने पर करना बताते हुए कहता है कि पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाया था और उसने पुलिस को कोई कथन देने से भी इन्कार किया जिसके आधार पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भाँति पूछे गये सूचक प्रश्नों में प्र०पी०-1 लगायत 4 के संबंध में सुझाव दिये जाने पर उसने अभियोजन के समस्त सुझावों को अस्वीकार किया है और प्र०पी०-5 का संपूर्ण ए स ए भाग का कथन 'कि दिनांक 15.03.13 -----जप्त किया' तथा बी से बी भाग 'छोटे लाल -----हस्ताक्षर किये' पुलिस को बताने से इन्कार करता है। और इस बात से भी उसने साफ तौर पर इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी अतुल एवं अरविन्द्र से 315 बोर का कट्टा, अधिया बनाने के औजार तथा कट्टे के पार्ट्स आदि जप्त किये थे। इस तरह से अ०सा०-1 के द्वारा अभियोजन के कथानक का कोई भी समर्थन नहीं किया है जिसे स्वतंत्र साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया था।

10. इसके अलावा मौके की कार्यवाही के दूसरे साक्षी आरक्षक गुलाबचंद मीणा अ०सा०-3 है तथा अ०सा०-1 के अलावा जो भी अभियोजन की ओर से साक्षी पेश हुए हैं वह सभी अ०सा०-3 लगायत अ०सा०-7 पुलिस साक्षी होकर आपस में हितबद्धता रखते हैं। ऐसे में उनकी अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता हो जाती है और बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत तर्कों के माध्यम से यही आधार रहा है कि पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध झूठा मामला बनाया गया है क्योंकि आरोपीगण के बालाजी आयरन वर्क्स प्रतिष्ठान से गोहद चौराहा की पुलिस ने लोहे के स्टेण्ड बनवाये थे जिनके पैसे मांगने पर दरोगा जी सुभाष पाण्डे नाराज हो गये थे और उसी कारण झूठा मामला बनाये जाने का आधार लिया है। इस संबंध में बचाव साक्ष्य भी दी है।

11. बचाव साक्ष्य में आरोपीगण की ओर से पांच साक्षी पेश किये गये हैं जिसमें से शिवसिंह ब०सा०-1 के मुताबिक वह आरोपीगण का पड़ोसी है और उसका यह कहना रहा है कि उसने पुरुषोत्तम झा की बालाजी आयरन इण्डस्ट्रीज की दुकान से अपने खरीदे गये ट्रैक्टर महिन्द्रा 275 की ट्रॉली ट्रैक्टर खरीदने के करीब एक महीने बाद बनवाई थी और दिनांक 15.03.13 को ट्रॉली उठाने के लिये उक्त दुकान पर दिन के तीन साढ़े तीन बजे गया था। उस समय पुरुषोत्तम ने पुलिस थाने में कुछ सामान बनाया था तो पुलिस ने उसको थाने में बिठा लिया था। पुरुषोत्तम के थाने जाने के पहले पुरुषोत्तम ने अपने लडकों को थाने से दरोगा जी से पैसे लेने के लिये कहा था तो लडकों ने मना कर दिया था। फिर पुरुषोत्तम थाने चले गये थे। उसके एक घण्टे बाद पुलिस के आरक्षक और दीवानजी आये थे और अतुल व अरविन्द्र को अपने साथ ले गये थे जिनका शाम साढ़े सात बजे तक इन्तजार किया था। तीनों के न आने पर वह तथा ग्राम ककरारी के रघुवीर ठाकुर भी वहीं बैठे थे फिर वे दोनों थाने गये थे। तब उन्होंने पुरुषोत्तम और अतुल व अरविन्द्र को थाने में देखा था। जानकारी लेने पर उन्हें यह पता चला था कि दरोगा जी सांप देखने गये हैं जो दरोगाजी रात को 9-10 बजे के बाद आये थे जिनका नाम वह नहीं जानता है। उसके बाद वह थाने से अपने घर चला गया था और रघुवीर ठाकुर अपनी ट्रॉली लेकर चले गये थे। दूसरे दिन वह पुरुषोत्तम की दुकान पर गया था तो पुरुषोत्तम ने यह बताया था कि पुलिस दुकान पर ताला डाल गई है और पूरा सामान ले गयी है। उक्त साक्षी निजी जानकारी के आधार पर यह कहता है कि उसकी जानकारी में आरोपीगण की दुकान से कट्टा बनाने का सामान या कट्टा नहीं मिले। उसने अपनी बनाई ट्रॉली की रसीद प्र०डी०-2 के रूप में साक्ष्य के दौरान पेश की और पैरा-2 में यह स्वीकार किया है कि उसकी दुकान से चले जाने के बाद यदि पुलिस ने आरोपीगण की दुकान से कट्टा व कट्टा बनाने का सामान जप्त किया हो तो उसे पता नहीं है। अंत में



उसने पुरुषोत्तम व अतुल के कहे अनुसार न्यायालय में बयान देने की बात भी स्वीकार की है।

12. इसी प्रकार रघुवीर सिंह वा0सा0-2 ने भी अपना अभिसाक्ष्य देते हुए पुरुषोत्तम से अपने ट्रैक्टर की बनवाई ट्रॉली का बिल प्र0डी0-3 के रूप में बताया है और यह कहा है कि ट्रॉली का उसने दस हजार रुपये एडवांस दिनांक 20.11.12 को दिये थे। ट्रॉली दिनांक 15.03.13 को एक लाख रुपये देकर उठाई थी। वह आरोपीगण की दुकान पर सुबह ग्यारह बजे आना और तीन बजे लाईट चली जाने से उसकी ट्रॉली का काम अधूरा रह जाना बताते हुए ब0सा0-1 की भी अपने साथ दुकान पर उपस्थिति बताते हुए यह भी कहता है कि ग्राम भगवासा के हरीशंकर व अन्य लोग भी थे और उनके सामने पुरुषोत्तम ने अपने लड़के से दिन में करीब साढ़े तीन बजे यह कहा था कि थाने चले जाओ और दरोगा जी से रुपये ले आओ तो लड़कों ने मना कर दिया था कि उन्हें तो पुलिस वाले डांट देते हैं और तुम्हीं चले जाओ फिर पुरुषोत्तम गया था जो लौटकर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद दो पुलिस वाले आये थे और दोनों मिस्त्री लड़कों को अपने साथ ले गये थे। मानसिंह वहाँ नहीं था फिर वे तीनों सूर्यास्त होने तक नहीं लौटे थे। तब वह थाने गया था तो पता चला था कि पिपाहडी नहर में सर्प निकला है जिसे देखने के लिये दरोगा जी चले गये हैं और जिले के अधिकारी भी गये थे। तथा आरोपी ने थाने पर करीब एक घण्टे इन्तजार किया था फिर वह दुकान पर आ गया था। रात को करीब 10.00 बजे पुरुषोत्तम ने आकर यह बताया था कि उसका काम अब नहीं हो पायेगा, कल होगा तो वह ट्रॉली लेकर अपने घर आ गया था। और दो दिन बाद दुबारा जाने पर पुरुषोत्तम द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि पुलिस उनका सामान ले गयी है और वह दूसरी जगह अपना काम करा ले। उसकी ट्रॉली का स्टेण्ड लगना रह गया था। उसके सामने भी पुलिस ने कट्टा या कट्टा बनाने का सामान जप्त नहीं किया था।
13. इसी बचाव साक्षी का यह भी कहना रहा है कि दस हजार रुपये जमा करने की रसीद नहीं दी थी और उसने भी यह कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में आरोपीगण की दुकान से कट्टा, अधिया बनाने का सामान जप्त हुआ हो तो उसे पता नहीं है। लेकिन वह थाने से लौटकर दस ग्यारह बजे दुकान पर आना बताता है। आरोपीगण पूर्व परिचित होना और उसका अच्छा व्यवहारी होना वह कहता है। इसी प्रकार हरीशंकर ब0सा0-3 ने भी ट्रॉली बनवाना और उसका बिल प्र0डी0-4 पुरुषोत्तम द्वारा दिया जाना वह कहता है। इस प्रकार से ब0सा0-1 लगायत 3 की एक जैसी साक्ष्य आई है और तीनों ही आरोपीगण के बालाजी आयरन वर्क्स प्रतिष्ठान से ट्रॉली बनवाने की बात बताते हैं। तीनों की ट्रॉली के केशमेमो एक ही दिन 15.03.13 के बताये गये हैं। रघुवीर के दस हजार रुपये एडवांस में जमा करने का प्र0डी0-3 सी में भी कोई उल्लेख नहीं है। ब0सा0-1 लगायत 3 के मुताबिक बालाजी आयरन वर्क्स पर ट्रॉली बनाने का काम होता था। ट्रॉली बनाने का काम होने से अभियोजन का भी इन्कार नहीं है। किन्तु यह देखना होगा कि क्या जिन औजारों से ट्रॉली बनाने का कार्य होना बताया गया है उनसे और भी कोई काम या अवैध शस्त्रों के निर्माण में उपयोग हो सकता है या नहीं।
14. इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से बालाजी आयरन वर्क्स के प्रोप्राईटर पुरुषोत्तम वा0सा0-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने स्वीकृत तथ्यों के अलावा यह कहा है कि उनकी दुकान पर ट्रॉलियाँ बनाई जाती हैं। अवैध हथियारों का निर्माण नहीं होता है और उसने भी ब0सा0-1 लगायत 3 की तरह ही दिनांक 15.03.13 को उसकी दुकान पर 4-5 ट्रॉलियाँ बनाते हुए ब0सा0-1 लगायत 3 की उपस्थिति

अपनी दुकान पर बताई है जिनके प्र0डी0-2 लगायत 4 के बिल देना भी कहा है तथा यह कहा है कि थाने के स्टेण्ड बनाये गये थे जिसके रुपये सुभाष पाण्डे दरोगा जी से लाने के लिये उसने अपने लडके से कहा था तो उसने मना कर दिया था तब वह स्वयं गया था। पैसे मांगने पर दरोगा जी नाराज हो गये थे और उसे चले जाने को कहा था। दिन के करीब दो ढाई बजे मोटरसाईकिल से थाने गया था तब सुभाष पाण्डे दरोगा जी ने उससे कहा था कि तुम अभी जानते नहीं हो, यह पुलिस थाने का काम है जो स्टेण्ड तुमने बनाये हैं वह थाने के लिये बनाये हैं उसके व्यक्तिगत नहीं हैं और उनके पैसे नहीं दिये जाते हैं जिस पर उसने कहा था कि लोहा तो घर पर नहीं बनता है और मजदूरी छोड़ी जा सकती है जिस पर से दरोगा जी बहुत गरम होकर नाराज हो गये थे और उससे कहा कि तू थाने पर बैठकर कानून बताता है और उसे थाने पर बिठा लिया था। एक घण्टे बाद दो सिपाहियों को भेजकर उसके लडके अतुल व अरविन्द को भी बुलवा लिया था और गाली-गलौच भी की थी। तथा ट्रॉली बनाने का औजार भी पुलिस ले आई थी और झूठा मामला बना दिया था। पुलिस वाले कई बार उसकी दुकान पर फ्री में वैल्विंग का काम कराने भी आते थे। छोटे काम तो कर देते थे और बड़े काम के पैसे मांगने पर उसके परिवार के विरुद्ध झूठा मामला बना दिया है। उसने अपनी दुकान का टिन नंबर का दस्तावेज प्र0डी0-5 के रूप में पेश किया है।

15. ब0सा0-4 ने यह स्वीकार किया है कि बालाजी आयरन इण्डस्ट्रीज पर वह और आरोपीगण सभी काम करते थे तथा चौराहे के आसपास और भी 2-3 दुकानें हैं जो ट्रॉली का वैल्विंग का काम करते हैं। उसने गोहद चौराहा थाने के लिये कूलर के जो स्टेण्ड बनाये थे उसकी कोई लिखापढ़ी नहीं है। इस बात से इन्कार किया है कि उसने झूठी रसीदें बनाई हैं और प्र0डी0-3 को पुराना दिखाने के लिये जमीन पर रगड़ा है। उसके मुताबिक घटना दिनांक को मानसिंह नहीं था। इस बात से इन्कार किया है कि उसकी दुकान पर अवैध कट्टों का निर्माण किया जाता था इस कारण पुलिस ने छापा मारा था और सामग्री व कट्टा अधिया आदि जप्त किये गये थे। उसके मुताबिक सुभाष पाण्डे दरोगा जी के अलावा एक तोमर दरोगा जी भी घटना दिनांक को थे।
16. इस प्रकार से बचाव साक्षियों के द्वारा थाने के कूलरों के स्टेण्ड बनाये जाने और उसके रुपये मांगे जाने से झूठा मामला बनाने का आधार लिया है किन्तु साक्ष्य के दौरान व तर्कों के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है कि झूठा मामला होने के संबंध में आरोपीगण द्वारा या उनकी ओर से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शिकायत की गई या अन्य वैधानिक कार्यवाही की गई है। ऐसे में बचाव साक्षियों जिनकी आरोपीगण से हितबद्धता है, उनके कथनों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि बनाये गये स्टेण्डों की राशि मांगने पर से ही पुलिस ने झूठा मामला बनाया और बालाजी आयरन वर्क्स पर ट्रॉली बनाने का काम होना निर्विवादित है इसलिये अ0सा0-1 व 4 के अभिसाक्ष्य से बचाव पक्ष द्वारा लिये गये आधार पर को तब तक बल नहीं मिलेगा जब तक कि अभियोजन की साक्ष्य जिसका कि आगे विश्लेषण होना है, वह अविश्वसनीय न मानी जावे।
17. आरोपीगण की ओर से अपने बचाव में ब0सा0-5 के रूप में रामकुमार प्रजापति को ट्रॉली के निर्माण में उपयोग होने वाले औजारों के संबंध में विशेषज्ञ के तौर पर पेश किया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि उसने बिरला नगर ग्वालियर स्थित आई0टी0आई0 से फिटर का प्रशिक्षण व डिप्लोमा लिया है। तथा उसने यह भी कहा है कि ट्रेन्ड फिटर की परीक्षा उसने 2006 में उत्तीर्ण की थी जिसका प्रमाण पत्र प्र0डी0-6 है

और उसने सूर्या रोशनी लिमिटेड मालनपुर से अप्रेन्टिस का कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था जिसका प्रमाण पत्र प्र0डी0-7 बताते हुए उसने यह भी कहा है कि हैण्ड ग्राइण्डर ट्रॉली पर जो धब्बे हो जाते हैं, उनको साफ करने के काम आता है। बाथ मशीन ट्रॉली की चद्दर व ऐंगल तथा चैनल को वैल्विंग करने के पूर्व उसके बीच के स्थान को खत्म करने के लिये किया जाता है। शिकंजा जिसे सी क्लेम्प भी कहते हैं उसका उपयोग लोहे के पाटों के बीच के गैप को खत्म करने के लिये व सीट को कसने के काम में आता है। सड़सी का उपयोग किसी लोहे के पार्ट को जो बैल्विंग से गर्म है, सही नहीं जुड़ा है उसको पकड़ने के लिये किया जाता है तथा लोहे के वर्मा का उपयोग चद्दर में छेद करने के लिये होता है। लोहे की ढंलवा रॉड जिसमें एक तरफ छेद होता है उसका उपयोग ट्रॉली को लिफ्ट करने के लिये सिलेण्डरों के साथ जोड़ा जाता है। हथौड़ा शीट को सीधा करने के काम आता है। प्लास भी ट्रॉली बनाने के काम आता है। पीतल का डमी राउण्ड जैसा पार्ट जिसके उपर व नीचे चूड़ी निकली होती है, का उपयोग कमानी के साथ पिन को हमेशा के लिये लॉक करने के लिये किया जाता है जिससे दुर्घटना से बचा जा सके।

18. उक्त साक्षी के अनुसार उक्त औजार कट्टा बनाने के काम में नहीं आ सकता है और जो वर्मा है उससे कट्टे की नाल नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि वर्मा से एक इंच का छेद हो सकता है। कट्टे की नाल बनाने के लिये दूसरी ड्रिल होती है जो कार्बाइड धातु के बने होते हैं क्योंकि कट्टे की नाल बहुत कठोर होती है और उसमें हार्ड वर्मा का उपयोग होता है। किन्तु दूसरी ओर उक्त साक्षी यह भी कहता है कि उसने कभी न तो कट्टा, अधिया व बंदूक बनाने का प्रशिक्षण लिया है न कहीं ट्रेनिंग की है न ही कभी देशी कट्टे बनाये हैं, न बनते देखे हैं। उसकी निजी जानकारी के आधार पर उक्त औजारों की देशी कट्टा, बंदूक बनाने में जरूरत नहीं पड़ती है। कौन कौनसे औजारों की जरूरत कट्टा व बंदूक बनाने में होगी, यह वह एक ओर तो न बता पाना कहता है वहीं दूसरी ओर नाल के लिये कठोर वर्मा का उपयोग बताता है। ऐसे में उक्त साक्षी को विशेषज्ञ के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी औजार केवल एक ही काम आये। क्योंकि एक औजार अनेक तरह की वस्तुओं के निर्माण में उपयोग में लाया जा सकता है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिये भी ब0सा0-5 का अभिसाक्ष्य कोई महत्व नहीं रखता है। दूसरी ओर उसकी आरोपीगण से हितबद्धता इस बात से स्पष्ट होती है कि उक्त साक्षी के मुताबिक जब वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस दौरान उसने आरोपीगण की बालाजी आयरन वर्क्स में छुट्टियों के दौरान वर्ष 2004 से 2006 के बीच में ट्रॉली बनाने का काम भी मजदूरी के तौर पर किया था जिसके पैसे आरोपीगण उसे देते थे। इस आधार पर वह आरोपीगण से पूर्व परिचित होना भी बताता है। आरोपीगण की ओर से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी भी कोई शिकायत या प्रार्थना नहीं की गई कि जो औजार उनके ट्रॉली बनाने के उपयोग के थे उन्हें पुलिस ने अवैध कट्टा अधिया बनाने का औजार मानकर झूठा जप्त कर लिया है और उसकी जांच करा ली जावे। ऐसे में यह आधार कि पुलिस गोहद चौराहा या एएसआई सुभाष पाण्डे द्वारा आरोपीगण की दुकान से लोहे के कराये गये कार्य के पैसे न देकर झूठा मामला बना दिया, यह बचाव साक्ष्य के आधार पर नहीं माना जा सकता है जैसा कि उपर स्पष्ट किया जा चुका है कि दाण्डिक मामले में प्रमाण भार अभियोजन पर होता है इसलिये अभियोजन साक्ष्य से ही देखना होगा कि बताई गई घटना अभियोजन प्रमाणित कर सका है या नहीं।



19. अब प्रकरण में शेष जो साक्षी विश्लेषण के लिये हैं, वे शासकीय होकर पुलिस साक्षी हैं। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि पुलिस साक्षी हितबद्ध हैं इसलिये उनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जाये क्योंकि एकमात्र स्वतंत्र साक्षी रणजीतसिंह ने समर्थन नहीं किया है और आरोपीगण का जो प्रतिष्ठान है, वह आम रोड़ है वहाँ से आवागमन होता है और स्वतंत्र साक्ष्य हमेशा उपलब्ध रहती है, उसके बावजूद भी स्वतंत्र साक्षियों को कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है इसलिये ही अभियोजन की साक्ष्य को अग्राह्य कर दिया जावे। यह सही है कि एकमात्र स्वतंत्र साक्षी रणजीतसिंह समाज सेवक अ0सा0-1 के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है और शेष साक्षी शासकीय सेवक होकर पुलिस कर्मी या एक दूसरे से हितबद्धता रखने वाले साक्षी अवश्य हैं। किन्तु पुलिस साक्षियों पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे पुलिस कर्मचारी हैं तथा विधि में ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य की पुष्टि के बिना उसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। जैसा कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **मनोज कुमार शुक्ला विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2004 भाग-4 एम0पी0एल0जे0 पेज-179** में भी मार्गदर्शित किया गया है। तथा **रोशनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2005 भाग-1 एम0पी0एल0जे0 पेज-292** में भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कोई साक्षी पुलिस कर्मचारी हो, मात्र इस आधार पर उसका साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य पर दोषसिद्धि स्थिर नहीं की जा सकती है। उक्त न्याय दृष्टांत का मामला एन0डी0पी0एस0 से संबंधित था। विचाराधीन मामला आयुध अधिनियम 1959 से संबंधित है जिसमें आरोपीगण का कृत्य आयुध अधिनियम की धारा का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। यह आवश्यक है कि जहाँ केवल पुलिस साक्षी हों, वहाँ उनके अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए।

20. प्रकरण में आरोपी मानसिंह के बारे में यह कथानक बताया गया है कि पुलिस को जो मुखबिर से सूचना मिली थी उसके मुताबिक तीन लोगों का बालाजी आयरन वर्क्स पर अवैध हथियार बनाने का काम करना बताया गया है जिसमें पुरुषोत्तम, नाथूराम और मानसिंह के नाम का उल्लेख है। जैसी कि प्र0पी0-13 सी-1 के रूप में संलग्न रोजनामचासान्हा के प्रथम भाग में सान्हा क्रमांक-546 पर सूचना दर्ज की गई है और मौके पर पहुंचकर भी तीन लोगों का काम करते हुए मिलना बताया है जिनमें से दुकान मालिक मानसिंह का पुलिस को देखकर पीछे की तरफ से भाग जाना और पीछा करने पर भी न पकड़ा जाना बताया है। दो आरोपी अतुल व अरविन्द को मौके से पकड़ना और उनसे अवैध शस्त्रों सहित सामग्री जप्त करना बताया है। मानसिंह को कथानक मुताबिक सह अभियुक्त अतुल व अरविन्द के दिनांक 17.03.13 को प्र0पी0-8 व 9 के धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लिये गये ज्ञापनों में भी मानसिंह का नाम आने से दिनांक 17.03.13 को मानसिंह को प्र0पी0-10 का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर उसके गिरफ्तार किये जाने और फिर उसका धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन लेने के आधार पर भी अभियोजित किया गया है। पुलिस कथानक में पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान बालाजी आयरन वर्क्स प्रतिष्ठान का मानसिंह को मालिक की हैसियत से बताया गया है जो कि विचारण में आई स्थिति के आधार पर मानसिंह के बजाय उसके भाई पुरुषोत्तम प्रोप्राईटर होना पाया गया है। लेकिन बचाव साक्ष्य में भी यह तथ्य आया है कि आरोपी व पुरुषोत्तम सभी बालाजी आयरन इण्डस्ट्रीज पर काम करते हैं। ऐसे में मानसिंह का भी साथ में उक्त प्रतिष्ठान पर काम करना उपधारित होगा। किन्तु अपराध में उसकी स्पष्ट



भूमिका के संबंध में विश्लेषण करके यह मूल्यांकित करना होगा कि क्या बताये गये कथानक मुताबिक अवैध शस्त्रों के निर्माण में उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका रही या नहीं रही और अन्य आरोपीगण अतुल व अरविन्द के संबंध में भी स्वतंत्र रूप से विचारण करने की आवश्यकता रहेगी।

21. प्रकरण में आरोपी मानसिंह के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा न तो प्रदान की गई है न ही पुलिस द्वारा चाही गई है। उसे केवल प्राप्त सूचना, आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर अभियोजित किया गया है। इस संबंध में साक्षी आरक्षक गुलाबचन्द्र मीणा अ0सा0-3 के द्वारा पैरा-5 में यह बताया गया है कि बालाजी आयरन मानसिंह की दुकान के नाम से चर्चित है। हालांकि दुकान के सामने प्रोप्राईटर के रूप में मानसिंह का नाम नहीं लिखा है। मानसिंह के बारे में वह साक्षी नहीं है। इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी एसआई ए0एस0 तोमर अ0सा0-5, प्र0आर0 गोपसिंह एवं एसआई सुभाष पाण्डे अ0सा0-7 हैं जिनकी साक्ष्य का विश्लेषण कर मूल्यांकन करना होगा।

22. प्र0आर0 गोपसिंह अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 16.03.13 को थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ रहते हुए आरोपी अतुल से पूछताछ कर प्र0पी0-8 का मेमोरेण्डम कथन, उसके सामने कट्टा जप्त कराये जाने एवं बनाने के सामान को अपनी फैक्ट्री में रखे होने संबंधी दिये जाने, इसी आशय का उक्त दिनांक को ही अरविन्द द्वारा ज्ञापन दिया जाना वह कहता है। उसके अभिसाक्ष्य में मानसिंह के संबंध में तथ्य नहीं आये हैं जबकि प्र0पी0-8 के अतुल के एवं प्र0पी0-9 के अरविन्द के ज्ञापनों में मानसिंह का मौके से भाग जाने का उल्लेख किया गया था। प्रकरण में तीनों ही आरोपीगण के जो मेमो कथन धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत लिये गये, उनमें आई जानकारी के अनुक्रम में कोई भी वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है क्योंकि प्र0पी0-1 एवं 2 के जप्ती पत्रकों मुताबिक जो सामग्री जप्त होना बताई गई है वह दिनांक 15.03.15 को ही मौके पर की गई कार्यवाही के तहत की गई है। और प्र0पी0-8 के अतुल के मेमो, प्र0पी0-9 के अरविन्द के मेमो तथा प्र0पी0-11 के मानसिंह के मेमो कथनों के आधार पर तलाशी की कोई कार्यवाही की गई है, ऐसा भी अभिलेख पर प्रमाण नहीं है क्योंकि धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत लिये गये ज्ञापनों के तहत कोई तलाशी की कार्यवाही कर पंचनामा भी तैयार करना न तो बताया गया है न ही पेश किये गये हैं। प्र0पी0-12 के रूप में जो तलाशी पंचनामा है वह मुखबिर की सूचना के आधार पर मौके पर जाकर कार्यवाही करने के समय तैयार किया गया बताया गया है क्योंकि प्र0पी0-12 में तलाशी पंचनामा दिनांक 15.03.13 को शाम 6.30 बजे तैयार किया गया था अर्थात् मेमो कथनों के आधार पर कोई भी वस्तु न तो बरामद हुई है न तलाशी की जाना पाया गया है।

23. ऐसे में आरोपी मानसिंह के संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया न्याय दृष्टांत **सुखलाल एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 1998 सी0आर0एल0जे0 पेज-1366** में दिया गया यह मार्गदर्शन कि आयुध अधिनियम की धारा-25 के अपराध के लिये जिला दण्डाधिकारी की उक्त अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति आवश्यक है, इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य है। क्योंकि शेष आरोपीगण अतुल और अरविन्द के संबंध में तो स्वीकृति प्र0पी0-6 के रूप में अभिलेख पर पेश है। हालांकि उसकी विधि मान्यता के संबंध में आगे विचार किया जावेगा किन्तु बचाव पक्ष की ओर से अन्य प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **वाहिदखान विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2008 फर्स्ट भाग-1 म0नि0षा0 पेज-161 एम0पी0** प्रकरण में लागू

किये जाने योग्य नहीं है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मकान और परिसरों में आयुध या गोला बारूद के लिये तलाशी करने के लिये मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता बताते हुए यह मार्गदर्शन दिया है कि यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित नहीं किया गया हो तो तलाशी अकृत्य (शून्य) होते हुए भादवि की धारा-99 के उपबंधों में आकर्षित नहीं करेगी। उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में कर्फ्यू के दौरान की घटना बताई गई थी और उसमें प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का बिन्दु भी उत्पन्न था। विचाराधीन मामले में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का मामला बताया गया है और उसमें भी मुखबिर की सूचना पर से मौके पर जांच के लिये जब पुलिस गई तो उसके द्वारा कार्यवाही करने के पूर्व तलाशी का पंचनामा इस आशय का प्र०पी०-12 के रूप में तैयार किया गया है कि मानसिंह निवासी गोहद रोड कीरतपुरा के सामने मकान की तलाशी अवैध हथियार बनाने की सूचना पर से की गई जिसके संबंध में मौके की कार्यवाही करने वाले एसआई सुभाष पाण्डे अ०सा०-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया है और प्र०पी०-12 के संबंध में कोई अभिसाक्ष्य नहीं आई है।

24. एसआई सुभाष पाण्डे अ०सा०-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 15.03.13 को वह गोहद चौराहा पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शाम करीब 6.00 बजे जब वह थाने पर उपस्थित था, उसे इस आशय की मुखबिर की सूचना मिली थी कि बालाजी आयरन वर्क्स गोहद रोड पर जो ट्रॉली बनाने का काम करता है, वह अपनी दुकान में अवैध रूप से कट्टा बनाकर विक्रय कर रहा है। जिस सूचना से उसने जरिये मोबाईल एसडीओपी को अवगत कराते हुए फोर्स एकत्र करते हुए मौके पर जाकर कार्यवाही करना बताया है। तथा यह कहा है कि दुकान में जब वे पहुंचे तो दो व्यक्ति काम कर रहे थे। एक व्यक्ति जिसे आरोपी मानसिंह बताता है, उसके बारे में यह कहता है कि वह दुकान के बाहर बैठा था और पुलिस को देखकर भाग गया था। पीछा करने पर भी नहीं मिला था। मौके पर जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनमें वह अतुल व अरविन्द को बताता है। किन्तु उसने जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की। मानसिंह के संबंध में पैरा-24 में उक्त साक्षी का यह कहना रहा है कि मानसिंह और पुरुषोत्तम का ही वह मकान है जहाँ अरविन्द व अतुल को पकड़ा था और वह काम कर रहे थे। मानसिंह और पुरुषोत्तम सम्मिलित रूप से रहते हैं या अलग-अलग रहते हैं, उसे पता नहीं है। लेकिन बालाजी इण्डस्ट्रीज के नाम से प्रोप्राइटरशिप के कागजात उसने नहीं देखे कि वह किसके नाम हैं। उसकी निजी जानकारी के मुताबिक प्रोप्राइटर मानसिंह आरोपी होना चाहिए। वह यह भी नहीं बता सकता है कि आरोपी मानसिंह भागते समय कौन कौन से आर्टिकल्स छोड़कर गया था। वह जिस संदूक से कट्टा जप्त करना बताता है उसके बारे में यह भी कहता है कि वह तीनों के कब्जे में पाया था।

25. बचाव पक्ष का यह तर्क रहा है कि मानसिंह जो कि वृद्ध है, उसे आंख से कम दिखाई देता है और वह भाग नहीं सकता है, उसके बारे में काल्पनिक कहानी बनाई गई है तथा मानसिंह से कोई जप्ती नहीं हुई है। उसके विरुद्ध कोई अपराध ही प्रथम दृष्ट्या नहीं बनता है। जबकि विद्वान ए०जी०पी० का तर्क है कि आरोपीगण एक ही परिवार के हैं, सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। मानसिंह यदि मौके पर घटना के समय नहीं था तो फिर कहाँ था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है इसलिये उसका घटना में शामिल रहना माना जावे।

26. अ०सा०-7 ने मानसिंह के संबंध में जो साक्ष्य दी है, उसके बारे में प्रोप्राइटरशिप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि यह तथ्य निर्विवादित है कि जो प्रोप्राइटर पुरुषोत्तम को

पाया गया है, वह और आरोपी मानसिंह सगे भाई हैं जिनमें आरोपी मानसिंह उम्र में बड़ा है क्योंकि पुरुषोत्तम बचाव साक्षी के रूप में पेश हुआ है जो वर्तमान में 57 वर्षीय है। जबकि मानसिंह गिरफ्तारी के समय वर्ष 2013 में ही 60 वर्ष का था। ऐसे में उसके बारे में ऐसी उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है कि जहाँ काफी संख्या में पुलिस बल छापामारी करने जाये और जिसमें युवावस्था के आरक्षकगण भी साथ में हों वहाँ 60 वर्षीय वृद्ध उन्हें चकमा देकर भागने में सफल हो जावे। ऐसे में मानसिंह की घटना के समय उपस्थिति के बाबत दी गई साक्ष्य अवश्य ही स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रह जाती है।

27. सुभाष पाण्डे अ0सा0-7 के मुताबिक उसने आरोपी मानसिंह को दुकान के बाहर बैठी अवस्था में देखना कहा है व अतुल एवं अरविन्द को दुकान में काम करते हुए पाना कहा है। ऐसी भी साक्ष्य नहीं आई है कि मानसिंह बाहर बैठकर क्या कर रहा था और उसके पास क्या कोई अवैध शस्त्र या उसके बनाने संबंधी कोई भी औजार थे या नहीं थे। ऐसे में भी साक्ष्य नहीं दी गई है कि जिस स्थान से मानसिंह भागा वहाँ पर उसके भागने के बाद कोई औजार मिला हो। तथा प्र0पी0-1 व 2 के जो जप्ती पत्र हैं उनमें भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई अमुख वस्तु मानसिंह छोड़कर चला गया। ऐसी स्थिति में मानसिंह के मौके से भाग जाने के कथानक को स्वाभाविक नहीं माना जा सकता है और अ0सा0-7 का पैरा-24 में दिया गया यह अभिसाक्ष्य कि संदूक से शस्त्र मिले वह तीनों के कब्जे में थे क्योंकि ऐसी किसी साक्ष्य का संकलन भी नहीं हुआ है कि संदूक का उपयोग मानसिंह करता रहा हो।

28. आरोपी मानसिंह के संबंध में कार्यवाही एएसआई ए0एस0तोमर द्वारा किया जाना बताई गई है जो कि घटना का विवेचक भी है और उक्त साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि दिनांक 17.03.13 को उसने आरोपी मानसिंह ओझा को प्र0पी0-10 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ करके धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-11 लिया था। लेकिन प्र0पी0-11 के मेमोरेण्डम कथन में दी गई जानकारी के आधार पर उसने शस्त्र बरामदगी के लिये कोई कार्यवाही की हो ऐसा न तो मौखिक साक्ष्य में बताया है। न ही कोई दस्तावेज है जबकि प्र0पी0-11 में यह सूचना आरोपी मानसिंह की ओर से उपलब्ध कराया जाना बताया गया है कि उसकी दुकान के बगल से एक कट्टा उसने छुपाकर रखना जिसे वह चलकर बरामद करा देता है किन्तु बगल की दुकान पर जाकर कट्टा बरामदगी के संबंध में कोई भी कार्यवाही किये जाने के बाबत अ0सा0-5 भी मौन है तथा अ0सा0-7 भी मौन है तथा प्र0पी0-10 के द्वारा मानसिंह की गिरफ्तारी कॉलेज के सामने गोहद रोड़ से करना बताई है। उक्त गिरफ्तारी को यदि अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित भी मान लिया जावे तब भी मानसिंह की विरचित आरोपों में संलिप्तता बाबत आवश्यक साक्ष्य का प्रकरण में निश्चित तौर पर अभाव है और उसके संबंध में कोई अभियोजन स्वीकृति भी प्राप्त नहीं है न ही उससे कोई भी औजार शस्त्र या शस्त्र का कोई भाग प्रमाणित हुआ है। ऐसे में मेमो कथन के आधार पर उसकी संलिप्तता नहीं मानी जा सकती है क्योंकि मेमो के आधार पर तलाशी की कार्रवाही तक नहीं की गई और कोई भी अवैध शस्त्र विक्रय किये जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपी मानसिंह के द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-7 का उल्लंघन किया जाना कतई प्रमाणित नहीं होता है जिसमें वगैर वैध अनुज्ञप्ति के प्रतिषेध आयुधों या परिसिद्ध गोला बारुद के रखा जाना और कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का अख्तियार वर्जित किया गया है।



29. अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर आरोपी मानसिंह के विरुद्ध विरचित आरोप विरचित युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये आरोपी मानसिंह को संदेह का लाभ देते हुए धारा 25-1(1)(क)(क) आयुध अधिनियम 1959 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

30. जहाँ तक अन्य आरोपीगण अतुल व अरविन्द का प्रश्न है, उसके संबंध में भी अभियोजन की शेष साक्ष्य का सूक्ष्मता एवं सावधानी से मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है उसके संबंध में सर्वप्रथम आयुध अधिनियम 1959 की धारा-7 का उल्लेख करना उचित होगा जिसके अनुसार—

प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध— कोई भी व्यक्ति कोई भी परिषिद्ध आयुध या परिषिद्ध गोलाबारूद को तब तक न तो—

(क) अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगा, और न

(ख) उपयोग में लायेगा, विनिर्मित, विक्रीत, अंतरित, संपरिवर्तित करेगा न उसकी मरम्मत परख या परिषिद्ध करेगा, और न

(ग) विक्रय या अंतरण के लिये अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा और न विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख, या परिषिद्ध के लिये अपने कब्जे में रखेगा, तब तक के सिवाय जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः प्राधिकृत न किया गया हो।

31. धारा-7 के प्रतिषेध के उल्लंघन के लिये उक्त अधिनियम की धारा 25-1(1)(क) में दण्ड का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-39 में जिला दण्डाधिकारी की जो पूर्व मंजूरी आवश्यक बताई है उसमें केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा-3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित न किये जाने का प्रावधान है जिससे यही अर्थ निकलता है कि धारा-7 के उल्लंघन के लिये ऐसी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

32. विचाराधीन मामले में चूंकि अभियोजन का अनुसंधान आयुध अधिनियम की धारा-3 के आधार पर धारा 25-1(1)(क)(क) आयुध अधिनियम के अंतर्गत किया गया है इस कारण अभियोजन के पूर्व जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अनुमति ली गई है और उसके संबंध में साक्ष्य कराई गई है जिसके संबंध में परीक्षित साक्षी दिनेश अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 26.04.13 को वह जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पर पर पदस्थ था तब पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक— पुआ/भिण्ड/रीडर/अभि0स्वी0/255 दिनांक 22.04.13 के द्वारा आरोपी अतुल पुत्र मानसिंह एवं अरविन्द पुत्र पुरुषोत्तम के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति चाही गई थी जिसके साथ केसडायरी, जप्त शस्त्र व अन्य सामग्री को जिला दण्डाधिकारी के अवलोकन हेतु सीलबंद अवस्था में आरक्षक क्रमांक-1043 बृजेन्द्रसिंह लेकर आया था। शस्त्र दो हिस्सों में सीलबंद थे जिसमें आरोपी अतुल के कब्जे से 315 बोर के दो कट्टा एक नाल, एक बारह बोर की नाल व अन्य सामग्री तथा रविन्द्र के कब्जे से एक अधिया 315 बोर व दो कट्टा 315 बोर, एक पीतल की डमी राउण्ड जैसा व अन्य सामान रखा पाया गया। जिनको रखने व बनाने का उनके पास कोई वैध लायसेन्स नहीं था। हथियारों को खोलकर देखा गया था। केसडायरी का



अवलोकन करके तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी अखलेश श्रीवास्तव के द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र०पी०-6 प्रदान की गई थी। उसने इस बात से इन्कार किया है कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने में न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया गया और औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी। उसने यह अवश्य स्वीकार किया है कि साथ आये आरक्षक को खुली अवस्था में हथियार सौंप दिये थे जिसने कलैक्टर साहब के सामने सील किया होगा क्योंकि ऐसा वह प्रक्रिया में बताता है। इस तरह से अ०सा०-2 के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०-6 की अभियोजन स्वीकृति विधिवत प्रदान किये जाने की पुष्टि होती है जिसमें जप्त तैयारशुदा शस्त्रों के अलावा जो अन्य सामग्री जप्त बताई गई है वह भी पेश होना दर्शित होता है। जैसा कि प्र०पी०-6 में उल्लेख भी है और जैसा कि उपर स्पष्ट किया जा चुका है कि आयुध अधिनियम की धारा-7 के उल्लंघन का मामला है इसलिये अभियोजन स्वीकृति की सर्वप्रथम तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि धारा-3 के उल्लंघन के लिये ही धारा-39 आयुध अधिनियम के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

33. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बाबू विरूद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी० 2005 भाग-1 एम०पी० डब्ल्यू० एन० एस० एन० 84** को पेश किया है जिसमें मामला आयुध अधिनियम की धारा-3 के उल्लंघन का था और धारा- 25-(1क क)आयुध अधिनियम का आरोप विरिचित था जिसमें वगैर वैध अनुज्ञप्ति के आरोपी के कब्जे में 12 बोर का देशी कट्टा व जिन्दा कारतूस बताये गये थे जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभिग्रहीत कट्टे का अभिग्रहण साबित न किया गया हो और अभिग्रहण के पश्चात उसे कहीं रखा गया, यह साबित न किया गया हो तथा आयुध अधिनियम की धारा-39 के अधीन मंजूरी विधि अनुसार साबित न की गई हो। मंजूरी प्राप्त करते समय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कट्टा पेश नहीं किया गया हो, मंजूरी विधि अनुसार साबित नहीं मानी जावेगी जो उपरोक्त वर्णित निष्कर्ष को देखते हुए प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। यदि अनुमति की आवश्यकता मानी भी जाये तो प्र०पी०-6 के मुताबिक जिला दण्डाधिकारी के समक्ष शस्त्र भी पेश किये गये, अन्य सामग्री भी पेश हुई, केसडायरी भी पेश हुई और उसका अवलोकन करने के उपरान्त ही अनुमति दी गई।

34. सुरेश दुबे अ०सा०-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 05.04.13 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म्स मुहर्नर के पद पर कार्यरत रहते हुए थाना गोहद चौराहा के अप०क०-60/13 में जप्तशुदा शस्त्रों को जांच हेतु प्राप्त होने पर उनको चैक करके उनकी जांच रिपोर्ट प्र०पी०-7 तैयार करना बताया है। साक्षी के कथन में उसकी जांच रिपोर्ट प्र०पी०-6 के रूप में टंकणीय त्रुटि से अंकित हो गयी है। जिसे प्र०पी०-7 के रूप में पढ़ा जा रहा है। क्योंकि साक्षी की रिपोर्ट भी प्र०पी०-7 ही अंकित किया गया था औ उसके संबंध में कोई आपत्ति भी नहीं आई है। प्र०पी०-7 मुताबिक और अ०सा०-4 के अभिसाक्ष्य मुताबिक उसके द्वारा जिन पांच शस्त्रों का परीक्षण किया गया उसमें 315 बोर की दो अधिया व तीन कट्टे बताये गये हैं जो सभी चालू हालत में होना और उनसे फायर किया जा सकना कहा है। अ०सा०-4 ने जांच उपरान्त पुनः सीलबंद करके देना बताया है।

उक्त साक्षी ने यह स्पष्ट कहा है कि जांच हेतु शस्त्र आरक्षक 1043 बृजेन्द्रसिंह द्वारा लाये गये थे जिसके साथ एफआईआर व जप्ती पत्रक की प्रति भी आई थी। उसके मुताबिक भी उक्त पैकेट में तीन और एक पैकेट में दो शस्त्र थे। दो अधिया एक कट्टा एकसाथ थे और दो कट्टा अलग सीलबंद थे। जांच उपरांत उसने जिन कपड़ों में शस्त्र सीलबंद होकर आये थे उनमें सीलबंद करके वापिस किये गये थे। सील करने के बाद चपड़ी की सील भी उसने नहीं लगाई थी। इस बात से इन्कार किया है कि उसके पास जो हथियार आये थे उनमें कोई भी हथियार अधबना था। पांचों हथियार उसने पूर्ण अवस्था में बने होना कहा है।

35. अ0सा0-4 ने साक्ष्य के दौरान आर्टिकल-एफ के कट्टे के बारे में यह कहा है कि उस पर उनके कार्यालय की सील लगाई थी जो मिट गई होगी क्योंकि साक्ष्य के दौरान सील लगी हुई नहीं मिली। आर्टिकल-एफ के कट्टे को कथन के दौरान देखा गया था जिसका एक्शन काम नहीं कर रहा था जिसके बारे में साक्षी का यह कहना है कि जब उसने जांच की थी तब तो वह चालू हालत में था। आर्टिकल-आई के बारे में भी सील लगाना बताता है जो फट गई होगी और उसे अधबना कट्टा होने से वह इन्कार करता है। आर्टिकल-आर के संबंध में पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उक्त हथियार उसके पास जांच हेतु आया था जिसमें बट नहीं है। दो ऐंगिल से जुड़ी है, बीच में स्प्रिंग नहीं है। उक्त आर्टिकल-आर पर भी अपने विभाग की सील लगाना और फट गई होगी, ऐसा कहता है तथा से अर्द्ध निर्मित होने से इन्कार करता है। उसका यह कहना रहा है कि बट काठ की न लगी होने से हथियार के चालू होने का कोई संबंध नहीं है अर्थात् वह बट न होने पर भी हथियार को चलाया जा सकना कह रहा है। यह अवश्य स्वीकार किया है कि उसकी रिपोर्ट में आर्टिकल-आर के संबंध में ऐसा उल्लेख नहीं है कि उसमें बट नहीं है। इस बात से उसने इन्कार किया है कि उसने कोई जांच नहीं की।

36. इस प्रकार से अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से उसके द्वारा प्र0पी0- की जांच रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। प्र0पी0-7 में जिन पांच शस्त्रों का उल्लेख है, वे साक्ष्य के दौरान आर्टिकल्स के रूप में प्रस्तुत हुए आर्टिकल एफ और जी एवं आर्टिकल क्यू, आर, एस हैं। जप्ती पत्र प्र0पी0-1 मुताबिक आर्टिकल एफ और जी 315 बोर के कट्टे के रूप में अंकित हैं और प्र0पी0-2 के जप्ती पत्र मुताबिक आर्टिकल क्यू 315 बोर की अधिया के रूप में और आर्टिकल आर व एस 315 बोर के कट्टे के रूप में अंकित है। जांच कर्ता के अभिसाक्ष्य मुताबिक वह आर्टिकल आर को अधिया संभवतः बता रहा है क्यों कि प्र0पी0-2 के जप्ती पत्र क्रमांक-8 पर जो शस्त्र जप्त बताया गया उसकी नाल की लंबाई 11 इंच है। अन्य जो कट्टा बताये हैं उनकी नाल की लंबाई 4-5 इंच के लगभग बताई गई है। संभवतः इसी कारण अधिया व कट्टे में भ्रम उत्पन्न हुआ है। किन्तु उससे जांच रिपोर्ट संदिग्ध नहीं मानी जा सकती है। न ही आरोपीगण अतुल व अरविन्द के पक्ष में इस आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

37. यह सही है कि अ0सा0-4 के समक्ष जांच हेतु जो वस्तुएं पहुंचाई गई, वे सभी पूर्ण विकसित अवस्था के शस्त्र अर्थात् 315 बोर के पेश कट्टा व अधिया थे। कोई अर्द्ध निर्मित पार्ट या निर्माण के उपयोग में आने वाली सामग्री अर्थात्

उपकरण जांच हेतु अवश्य नहीं भेजे गये हैं किन्तु आरोपी अतुल और अरविन्द से जो उपकरण की जप्ती बताई गई है उनको जांच हेतु न भेजे जाने या जांच न होने से प्र०पी०-7 की जांच रिपोर्ट अग्राह्य नहीं होगी। क्योंकि जहाँ अधिक संख्या में शस्त्र एकसाथ बरामद हों वहाँ तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर भी निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है इसलिये बचाव पक्ष का यह तर्क कि निर्माण के उपयोग में बताये गये उपकरणों को साथ न भेजे जाने से प्र०पी०-7 की जांच रिपोर्ट व्यर्थ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

38. इस संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि सर्वप्रथम जो सामग्री न्यायालय में पेश की गई उसमें और जप्ती पत्रक में अंतर है। जांच रिपोर्ट में भी अंतर है क्योंकि जांच रिपोर्ट में तीन कट्टा व दो अधिया बताई गई जबकि जप्ती पत्रकों मुताबिक चार कट्टे व एक अधिया है। अ०सा०-4 की साक्ष्य के दौरान आर्टिकल एफ का एक्शन भी चालू नहीं पाया गया इसलिये उसे शस्त्र की श्रेणी में नहीं माना जावेगा। इस संबंध में उन्होंने न्याय दृष्टांत 1999 सी०आर०एल०जे० पेज-600 (एस०सी०) जसपालसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब को पेश किया गया है जिसका अध्ययन करने पर उक्त न्याय दृष्टांत का मामला टाडा एक्ट से संबंधित था जिसमें यह पाया गया था कि आरोपी के कब्जे से जो शस्त्र दुनाली बंदूक जप्त हुई थी वह चालू हालत नहीं थी तथा जो कारतूस जप्त हुए थे वह भी खाली थे और विवेचक या शस्त्र संबंधी विशेषज्ञ की ऐसी साक्ष्य नहीं थी कि जप्त हथियार चालू हालत में है, ऐसे में दोषमुक्ति की गई थी। विचाराधीन मामले में जहाँ अ०सा०-4 ने जांच किये गये सभी पांचों शस्त्रों को चालू हालत में बताया है वहीं यह मामला टाडा से संबंधित नहीं है। आर्टिकल एफ का जो एक्शन न्यायालय में कथन के दौरान चालू नहीं पाया गया यह पश्चातवर्तीय परिस्थिति भी हो सकती है। क्योंकि प्रकरण में काफी मात्रा में उपकरण व शस्त्र जप्त हुए हैं जो आर्टिकल ए लगायत एस के रूप में चिन्हित हुए हैं और अ०सा०-7 की अभिसाक्ष्य के दौरान मालखाना अनुभाग से उन्हें बुलाये जाने पर वह बोरियों में रखे पाये गये थे। इसलिये उनके रख रखाव के दौरान यदि कोई भिन्न स्थिति बन गई हो तो उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अ०सा०-7 के अभिसाक्ष्य से उसके समक्ष भेजे गये हथियार शस्त्र की श्रेणी में ही माने जावेगे। लेकिन वे आरोपी अतुल व अरविन्द के कब्जे से ही बरामद हुए हैं या नहीं हुए हैं और वे उनका विनिर्माण, विक्रय करते हुए अर्जन या कब्जे में रखे पाये गये या नहीं पाये गये, यह अन्य साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर से निष्कर्षित करना होगा।

39. अन्य परीक्षित साक्षियों में से एसआई ए०एस० तोमर अ०सा०-5 ने आरोपी अतुल व अरविन्द के संबंध में अपनी अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 15.03.13 को वह थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसे इंचार्ज थाना प्रभारी सुभाष पाण्डे द्वारा अप०क्र०-60/13 की अग्रिम विवेचना सौंपी गई थी जिसमें उसने गिरफ्तारशुदा आरोपी अतुल व अरविन्द से दिनांक 16.03.13 को अपराध के बारे में पूछताछ की थी और अतुल का प्र०पी०-8 का व अरविन्द का प्र०पी०-9 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया था। उसने उक्त घटना दिनांक 15.03.13 को ही सबसे पहले आरक्षक गुलाबचन्द्र मीणा और साक्षी रणजीतसिंह भदौरिया के कथन उनके बताये अनुसार भी लेखबद्ध करना

बताया है। अ0सा0-7 ने मौके की कार्यवाही में आरोपी अतुल एवं अरविन्द से शस्त्रों एवं उपकरणों की प्र0पी0-1 व 2 मुताबिक जप्ती करना तथा प्र0पी0-3 व 4 मुताबिक उनकी मौके पर ही गिरफ्तारी करना और फिर थाने पर वापिस आकर रोजनामचासन्हा में प्र0पी0-13 सी-2 मुताबिक वापिसी दर्ज करना, और प्र0पी0-14 की एफ0आई0आर0 दर्ज करना बताया है।

40. इस तरह से प्रकरण में ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डे अ0सा0-7 की स्थिति परिवादी की है और ए0एस0आई0 ए0एस0 तोमर की स्थिति विवेचक की है। हालांकि उसे हमराह पुलिस बल में भी साथ होना बताया गया है। अर्थात् प्रकरण में परिवादी और विवेचक एक ही पुलिस अधिकारी नहीं हैं। जैसा कि उपर वर्णित न्याय दृष्टांत 1999 सी0आर0एल0जे0 पेज-680 में यह कहा गया है कि विवेचक एवं परिवादी एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

41. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य न्याय दृष्टांत चिरकू उर्फ लखनलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2010 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0 38 को पेश किया गया है जो कि एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 व आयुध अधिनियम 1959 से संबंधित अपराध पर आधारित है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त को जिस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया हो और उससे शस्त्र बरामद किये हो, तथा एफ0आई0आर लेखबद्ध की हो, वह परिवाद होता है। इस कारण उसे अन्वेषण नहीं करना चाहिए। विचाराधीन मामले में परिवादी व विवेचक अलग-अलग पुलिस अधिकारी हैं इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत इस बिन्दु पर बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। जहाँ तक जप्ती का प्रश्न है, उसकी प्रमाणिकता को अभी देखा जाना है।

42. प्र0आर0 गोपसिंह अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी अतुल के द्वारा उसके सामने प्र0पी0-8 का और अरविन्द के द्वारा प्र0पी0-9 का मेमोरेण्डम कथन देना बताया है जो एएसआई ए0एस0तोमर द्वारा लिया गया था किन्तु प्र0पी0-8 व 9 के ज्ञापनों की जानकारी के आधार पर अन्य कोई वस्तुओं की बरामदगी की कार्यवाही होना नहीं पाई गई है इसलिये प्र0पी0-8 व 9 के संबंध में अ0सा0-5 व 6 की साक्ष्य महत्व नहीं रखती है। किन्तु उनकी साक्ष्य इस संबंध में बचाव पक्ष के आधार को भी कोई समर्थन नहीं देती है इसलिये अ0सा0-5 एवं 6 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-8 व 9 के प्रमाणित हो जाने से भी गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह एच0सी0एम0 की हैसियत से पदस्थ था और वह अपनी कार्यवाही रोजनामचा में लिखता था। उक्त दोनों साक्षियों ने तथा घटना के परिवादी सुभाष पाण्डे अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह तो स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 15.03.13 को ग्राम पिपाहड़ी में मणिधारी सर्प के संबंध में अफवाह फैली थी जिसकी तश्दीक के लिये थाने की पुलिस एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर गये थे किन्तु मणिधारी सर्प के संबंध में कितने बजे सूचना मिली थी, इस बारे में अ0सा0-7 को जानकारी नहीं है। अ0सा0-6 के मुताबिक उसे दिनांक की जानकारी नहीं है किन्तु शाम के करीब छः बजे सूचना इस संबंध में आई थी। अ0सा0-5 के मुताबिक घटना दिनांक को ही उक्त प्रकार की सूचना शाम के छः साढ़े छः बजे आई थी। उससे यह तो स्पष्ट है कि घटना दिनांक को शाम के



समय ग्राम पिपाहडीहेट में मणिधारी सर्प के संबंध में फैली अफवाह की सूचना थाना गोहद चौराहा पर आई और पुलिस मौके पर भी गई थी किन्तु अ0सा0-7 उक्त सूचना के संबंध में तश्दीक हेतु घटना दिनांक को रात के साढ़े नौ बजे जाना बताता है। जबकि अन्य साक्षी ए0एस0तोमर अ0सा0-5 शाम के समय ही पिपाहडीहेट जहाँ एसआई सुभाष पाण्डे का भी वहाँ जाना बताता है। अ0सा0-6 के मुताबिक थाना प्रभारी थाने के सभी कर्मचारी व एस0डी0ओ0पी0 मणिधारी सांप की सूचना पर पिपाहडीहेट गये थे और रात के करीब 10.00 बजे वापिस आये, ऐसा कहता है।

43. ग्राम पिपाहडीहेट में मणिधारी सर्प की सूचना पर ए0एस0 तोमर अ0सा0-4 के जाने के संबंध में अ0सा0-7 के मुताबिक रोजनामचा में कोई प्रविष्टि नहीं है और उसका यह भी कहना है कि हर आने जाने की प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं है। बिना रोजनामचा में दर्ज किये ही चले जाते हैं। किन्तु वह ए0एस0 तोमर के साथ पिपाहडीहेट जाने से इन्कार कर रात साढ़े नौ बजे प्र0आर0 बृजराजसिंह, विनोदशुक्ला व उदयसिंह को जाना कहता है। एसआई ए0एस0 तोमर के साथ जाने से इन्कार करता है। जैसा कि पैरा-7 में आया है। यह विरोधाभास इसलिये विशेष महत्व नहीं रखता है क्योंकि अभिलेख पर रोजनामचासान्हा मूल लाकर उसके पिता को प्र0पी0-13 सी-1 व सी-2 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

44. मौके की कार्यवाही के संबंध में जो साक्ष्य आई है उसमें सर्वाधिक महत्व का साक्षी ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डे अ0सा0-7 जिसकी हैसियत परिवादी की है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि घटना दिनांक को प्राप्त सूचना की तश्दीक के लिये वह पुलिस बल को साथ लेकर जब मौके पर पहुंचा तो अतुल व अरविन्द आरोपी अवैध रूपसे कट्टा, हथियार बनाने का काम कर रहे हैं। तथा मानसिंह बाहर बैठा था जो उन्हें देखकर भागा था। आरोपीगण अतुल व अरविन्द से अवैध हथियार बनाने का लायसेन्स चाहा गया तो उन्होंने न होना बताया था। उनके कब्जे से अवैध हथियार बनाने की सामग्री व अवैध हथियार कट्टा व अधिया व ग्राइण्डर मशीन आदि गवाहों के समक्ष ही मौके पर जप्त किये थे। और अतुल से जो सामग्री जप्त हुई थी उसका प्र0पी0-1 का जप्ती पत्रक बनाया था जिसके अनुसार वह आर्टिकल ए का ग्राइण्डर, आर्टिकल बी लोहे की लाल रंग की वॉक मशीन, आर्टिकल सी लोहे का शिकंजा, आर्टिकल डी लोहे की सडासी, आर्टिकल ई लोहे के कट्टे में लगायी जाने वाली नाल, आर्टिकल एफ 315 बोर का एक देशी कट्टा जिसमें काठ की बैटी लगी हुई थी और डबल ट्रेगर लगा हुआ था। आर्टिकल जी का 315 बोर का लोहे का बैटी लगा हुआ देशी कट्टा, आर्टिकल एच लोहे का छेद करने वाला वर्मा, आर्टिकल आई 12 बोर के कट्टे की लोहे की एक नाल, आर्टिकल जी के रूप में ढलवां तीन रौडें जिनमें एक तरफ और बीच में छेद थे, जप्त करना बताया है।

45. अ0सा0-7 ने आरोपी अरविन्द से प्र0पी0-2 मुताबिक सामग्री एवं हथियार मौके पर ही जप्त करना बताये है। जिसमें आर्टिकल के की ग्राइण्डर मशीन जिसमें काले हरे रंग के बिजली के तार की डोरी व सफेद प्लग लगा हुआ था और उस पर अंग्रेजी में पॉवर ऐन्जिल लिखा हुआ था, लोहे का एक पहिया जिसमें छड़ लगी थी आर्टिकल एल के रूप में, तथा लकड़ी का बेंट लगा हुआ

हथौड़ा, आर्टिकल एम प्लास, आर्टिकल एन जिसके हथे में हरी व काली प्लास्टिक चढ़ी थी तथा एक बोतल में डमी राउण्ड जैसा जिसके उपर नीचे चूड़ियाँ बनी थीं आर्टिकल ओ के रूप में, चार लोहे की ढलवा रोड जिनमें एक तरफ और बीच में छेद था आर्टिकल पी के रूप में, एक 315 बोर की अधिया जिसके ट्रेकर एवं नाल पर मक्खी लगी थी, जिसकी नाल की लंबाई 16.5 इंच है आर्टिकल क्यू के रूप में, एक 315 बोर का कट्टा जिस पर लोहे की बैटी और ट्रैगर तथा बाईं तरफ खुलने का नट भी लगा है आर्टिकल आर के रूप में तथा एक 315 बोर का कट्टा जिसकी लोहे की नाल व बैटी लगा हुआ आर्टिकल एस के रूप में जप्त करना बताया है।

46. अ0सा0-7 ने यह भी कहा है कि मौके पर ही आरोपी अतुल को प्र0पी0-3 व अरविन्द के प्र0पी0-4 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें मय हथियार व सामान के थाने लाकर उसने प्र0पी0-14 की एफआईआर लेखबद्ध की थी। रोजनाचासान्हा प्र0पी0-13 सी-1 सी-2 के रूप में बताये हुए कहा है कि सूचना दर्ज करने का प्र0पी0-13 सी-1 का रोजनामचासान्हा प्र0आर0 गोपालसिंह के द्वारा हस्ताक्षरित है औ वापिसी का रोजनामचासान्हा प्र0सी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त कार्यवाही वह साक्षियों के समक्ष करना बताता है। जिसके संबंध में उक्त पंच साक्षी रणजीतसिंह भदौरिया अ0सा0-1 के बारे में उपर ही विश्लेषण किया जा चुका है। दूसरे पंच साक्षी आरक्षक गुलाबचंद मीणा अ0सा0-3 है जिसने मुख्य परीक्षण में प्र0पी0-1 लगायत 4 का अ0सा0-7 मुताबिक समर्थन किया है।

47. अ0सा0-7 ने पैरा-9 में यह बताया है कि सूचना थाने पर मिली थी और थाने से ही घटनास्थल के लिये वह रवाना हुआ था। एसआई एसतोमर भी उसके साथ थाने से गये थे और वह सरकारी वाहन से गये थे। ऐसा नहीं है कि उसने मौके पर पहुंचने के बाद एसआई एसतोमर को मोबाईल पर सूचना मय फोर्स के मौके पर आने की सूचना दी हो। साक्षी ने घटनास्थल की चतुर्सीमा और स्थिति के संबंध में भी अपनी साक्ष्य में बताया है और यह भी कहा है कि वह दिखाएँ नहीं समझता है लेकिन घटनास्थल उसने पहले भी देखा हुआ था। क्योंकि गोहद आने के लिये बालाजी आयरन वर्क्स के सामने से ही रास्ते आना होता है। मेनरोड से पन्द्रह फीट छोड़कर उक्त प्रतिष्ठान व आरोपीगण का मकान बताया है। उसने यह भी कहा है कि मौके पर ट्रॉलियाँ भी रखी थीं लेकिन किस किस की थी वह यह नहीं बत सकता है और निर्माणाधीन थीं या बनी हुई थीं, यह भी नहीं बता सकता है। अवैध हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों व वस्तुओं के संबंध में उसका यह भी कहना रहा है कि उसने ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं किया है कि कट्टा बनाने में क्या क्या उपकरण काम आते हैं और ट्रॉली कल्टीवेटर बनाने में क्या क्या मशीनें लगती हैं। लेकिन उसने ट्रॉलियाँ बनती हुई देखी हैं जिन उपकरणों को उसने अवैध कट्टों के निर्माण में उपयोग लाया जाना बताया है उसके संबंध में यह भी स्वीकार किया है कि वह ट्रॉलियों के निर्माण में भी काम आ सकती हैं। साक्षी ने न्यायालय में अभिलेख के आधार पर साक्ष्य देते हुए जप्त वस्तुओं के संबंध में स्थिति को स्पष्ट किया है। किस आरोपी से क्या जप्त हुआ, यह मौखिक रूप से बताने में उसने पैरा-12 में असमर्थता व्यक्त की है और पैरा-13 में यह कहा है कि वह शस्त्रों के निर्माण का विशेषज्ञ

नहीं है। आर्म्स मुहर्रिर से उसने जांच करवाई थी और सम्मिलित रूप से जांच करवाना पैरा-20 में भी उसने बताया है।

48. अ0सा0-7 के मुताबिक आर्टिकल ए का ग्राइण्डर मशीन अधिक वैल्विंग होने पर घिसाई के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ताकि निर्मित की जा रही वस्तु का आकार प्रकार उसके अनुसार हो जावे। आर्टिकल बी की वॉक मशीन का उपयोग लोके पार्ट को सीधा या टेड़ा करने के लिये उपयोग में लाना बताया है। आर्टिकल सी के शिकंजे के संबंध में यह कहा है कि वह कट्टे की नाल दबाने के काम में आ सकता है। आर्टिकल डी की सड़सी का भी कट्टा बनाने में उपयोग बताया है। आर्टिकल एच के बारे में साक्षी ने यह कहा है कि वर्मा नट बोल्टों के छेद करने के लिये कट्टे की नाल में छेद करने के लिये उपयोग में आता है। साक्षी के दौरान आर्टिकल एच के वर्ममा से अन्य वस्तुओं का मिलान भी कराया गया जिसमें आर्टिकल एच से जो छेद होगा उसका वर्मा की लंबाई और गोलाई तथा गहराई जितना ही होगा। आर्टिकल जी की नाल की लंबाई आर्टिकल एच के वर्मा की लंबाई से डेढ़ इंच कम पाया गया है। तथा उक्त वर्मा से आर्टिकल एफ व जी के बताये गये अवैध शस्त्रों के आगे से वर्मा नाल के अंदर न जाना, तथा पीछे से जाना पाया गया है। जो पीछे से डालने पर ढीला था जिसके आधार पर यह स्वीकार किया गया है कि आर्टिकल एच के वर्मा द्वारा आर्टिकल एच और जी की नाल में छेद नहीं किया जा सकता है किन्तु साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि वर्मा की साफ्ट निकल कर छोटी या बड़ी कम या ज्यादा वृत्त के आकार की लगाई जा सकती है। आर्टिकल-एच के वर्मा में लगने वाली अन्य कोई रॉड लंबी या मोटी उसे नहीं मिली थी। आर्टिकल जे के रूप में जो ढलवां रॉड पेश की गई हैं, उनके बारे में उक्त साक्षी ने पैरा-16 में यह कहा है कि वह अधबनी है और आर्टिकल एच के वर्मा की साफ्ट की लंबाई से अधिक लंबाई की है। तीनों ढलवां रॉडों में एक तरफ व बीच में छेद पाया गया तथा आर्टिकल पी के चार ढलवा रॉडों में भी एक तरफ ओर बीच में छेद पाये गये हैं।

49. उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल जी का उपयोग ट्रॉली के नक्का झूला के निर्माण में उपयोग होता है या नहीं, यह उसे पता नहीं है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि बीच के छेद ग्रीस भरने के लिये होते हैं बल्कि उसका यह कहना है कि उनका उपयोग नाल बनाने के काम में होता है और छेदों को लोहे से भरा जा सकता है। यह भी स्वीकार किया है कि छेदों को भरने पर उनका कट्टा के रूप में उपयोग करने पर नाल में से बारूद या गन पाउडर या अन्य वस्तुएं निकल सकती हैं और चलाने वाले को घायल कर सकती हैं। किन्तु वह उन छेदों को लोहे से बंद कर दिये जाने पर उनके खुलने की संभावना से पैरा-19 में इन्कार भी करता है। उसने यह स्वीकार किया है कि पुलिस विभाग में जो हथियार आग्नेय शस्त्र उपयोग में लाये जाते हैं उनमें किसी के भी बैरल में छेद नहीं होते हैं। और उक्त वस्तुओं का अवैध हथियारों के निर्माण में उपयोग में लाया जाना वह अपने अनुभव के आधार पर बताना कहता है। कोई प्रमाण पत्र उसने पेश नहीं किया है लेकिन उसका यह भी कहना है कि उन्हें प्रशिक्षण में भी बताया जाता है।

50. आर्टिकल ओ जो कि पीतल का डमी राउण्ड जैसा है उसका उपयोग भी

कट्टा की नाल बनाने में किया जाना बताता है। ट्रॉली के निर्माण में उसका उपयोग होता है या नहीं, उसे यह जानकारी नहीं है। आर्टिकल ओ का भी आधा भाग आर्टिकल एफ और जी के कट्टे की नाल में आगे की तरफ से प्रविष्ट न होने और पीछे की तरफ से प्रविष्ट कराये जान पर ढीला रहना पैरा-16 मुताबिक बताया गया है जिसके संबंध में वह यह कहता है कि उक्त डमी का उपयोग टेस्टिंग के रूप में किया जाता है। ट्रॉली के उपरी भाग पर सपोर्ट के लिये उपयोग में लाया जाता हो तो उसे जानकारी नहीं है। आर्टिकल ई के चार ढलवां रॉडों में जो छेद हैं, उनमें डिल चिट की साफ्ट एक इंच तक ही जाना पायी गई है। जैसा कि पैरा-18 में आया है। उसने यह स्वीकार किया है कि अवैध कट्टों में जो नाल लगाई जाती है उसका छेद आरपार होता है किन्तु आर्टिकल पी के चारों रॉडों के बारे में उसका यह कहना है कि वह निर्माण की प्रक्रिया में थी इसलिये पूरे छेद नहीं हैं।

51. अ0सा0-7 ने इस बात से इन्कार किया है कि आर्टिकल एच के वर्मा एवं डिल चिक से आर्टिकल क्यू, आर, एस के कट्टों की नाल न बनाई जा सकने के सुझाव को इन्कार करते हुए ह कहा है कि छोट नाल बंद हो सकती है। यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल क्यू की अधिया की नाल की लंबाई डिल चिक की साफ्ट से चार गुना है और यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल क्यू की नाल बनाने के लिये जी साफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी तथा आर्टिकल आर एवं एस के कट्टों की नाल भी डिल चिक साफ्ट बडी पाई गई जिनके बारे में उसका कहना रहा है कि कई वर्मा और साफ्टों का उपयोग किया जाता है। और यह भी स्वीकार किया है कि बैरल की लंबाई तरफ छेद करने वाले साफ्टों को जप्त नहीं किया गया है। आर्टिकल आई के संबंध में उसका यह कहना रहा है कि आर्टिकल आई 12 बोर की कट्टे की नाल बनी हुई है। इस बात से इन्कार किया है कि उसका उपयोग ट्रॉली में प्रेशर पाईप के रूप में किया जा सकता है। बल्कि यह कहा है कि इस प्रकार के पाईपों से ही बारह बोर की कट्टे बनाये जाते हैं।
52. इस प्रकार से अ0सा0-7 के मुताबिक जो उपकरण आर्टिकल एफ, जी, क्यू, आर, एस के कट्टे व अधिया के अलावा जप्त किये गये हैं उनका उपयोग अवैध शस्त्रों के निर्माण में भी होना कहा है तथा साक्षी ने इस बात से भी इन्कार नहीं किया है कि शेष आर्टिकल्स का उपयोग ट्रॉली व कल्टीवेटर बनाने के उपयोग में नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही उपकरणों का उपयोग ट्रॉलियों के निर्माण में हो सकने की संभावना एएसआई ए0एस0 तोमर ने भी व्यक्त की है।
53. इसी साक्षी का यह भी कहना रहा है कि थाना गोहद चौराहा पर उसकी पदस्थापना के दौरान थाना परिसर के सामने रोड तरफ की बाउण्ड्री बनी थी। लेकिन उसने इस बात से इन्कार किया है कि बाउण्ड्री का लोहे का गेट उस समय लगवाया गया था बल्कि पहले का बताते हुए वह इस बात से इन्कार करता है कि आरोपी अरविन्द के पिता पुरुषोत्तम से उसने लोहे का मेनगेट व कूलर के स्टेण्ड बनवाये थे जिसके पैसे नहीं दिये और मांग करने पर झूठा मामला बना दिया है।
54. अ0सा0-5 एएसतोमर ने पैरा-16 में अपने अभिसाक्ष्य में यह अवश्य स्वीकार किया है कि थाने के सामने की दीवाल एएसआई पाण्डे के कार्यकाल में



बनी है और लोहे का गेट लगा है। किसने बनवाया था। यह वह नहीं बता सकता है किन्तु वह एसआई पाण्डे के द्वारा बनवाना भी कहता है। लेकिन आरोपीगण से बनवाने से वह अवश्य इन्कार करता है। इस बात से भी इन्कार किया है कि लोहे का गेट और कूलर का स्टेण्ड आरोपीगण से बनवाया और पैसा मांगने पर इंचार्ज थाना प्रभारी ने नाराज होकर झूठा मुकदमा बनवा दिया तथा यह अवश्य स्वीकार किया है कि आरोपीगण की बालाजी इण्डस्ट्रीज रजिस्टर्ड फर्म है जो सरकारी व प्राइवेट माल बनाकर सप्लाई करती है। बचाव पक्ष के उक्त आधार के संबंध में उपर विश्लेषण किया जा चुका है और यह पाया जा चुका है कि लोहे का गेट और कूलर के स्टेण्ड आरोपीगण के प्रतिष्ठान से बनवाये जाने, उसकी राशि की लेनदेन के विवाद पर से मामला पंजीबद्ध किये जाने के आधार को बल प्राप्त नहीं है।

55. यह सही है कि जो उपकरण आरोपीगण अतुल व अरविन्द से जप्त किये गये हैं वह अभियोजन की साक्ष्य मुताबिक और बचाव साक्ष्य मुताबिक ट्रैक्टर की ट्रॉली आदि के निर्माण में भी उपयोग में लाये जा सकते हैं। आरोपीगण का प्रतिष्ठान ट्रॉली और कल्टीवेटर के निर्माण संबंधी है, इस पर भी कोई दो मत नहीं हैं जिस तरह के बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षियों पर जप्ती की कार्यवाही के संबंध में बचाव लिया गया है और बचाव साक्ष्य दी गई है वे ट्रॉली निर्माण के उपकरण हैं और पुलिस उन्हें अवैध कट्टों के निर्माण का बताकर अवैधानिक तरीक से जप्त कर ले गई, के सुझावों से इस बात की पुष्टि अखण्डित रूप से हो रही है कि आर्टिकल के रूप में जो उपकरण प्रकरण में पेश हुए हैं वे आरोपी अतुल व अरविन्द से बालाजी आयरन वर्क्स प्रतिष्ठान से ही अवैध आग्नेय शस्त्रों के अलावा जप्त किये गये जैसा कि उपर भी स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त उपकरण कई तरह की वस्तुओं के निर्माण में उपयोग में लाये जा सकते हैं इसलिये जप्त उपकरण ट्रॉली बनाने के उपयोग के होने से यह नहीं माना जा सकता है कि वे अवैध हथियारों के निर्माण में उपयोग में नहीं लाये जा सकते हैं और अभिलेख पर इस प्रकार की कोई भी साक्ष्य नहीं आई है कि जो उपकरण जप्त किये गये वे देशी कट्टा, अधिया जैसे आग्नेय शस्त्रों के निर्माण के लिये उपयोग में नहीं लाये जा सकते हैं।

56. अ0सा0-7 के विस्तृत अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट किया गया है कि अरविन्द व अतुल का उसने मौके पर काम करते हुए पकड़ा था। के0एस0तोमर अ0सा0-5 ने भी इस बात की पुष्टि की है और यह स्पष्ट किया है कि आरोपीगण को मौके पर पकड़ा गया था और गिरफ्तार किया गया था। तथा पैरा-18 में उसने यह भी कहा है कि ट्रॉली पर काम करते हुए उसने किसी मजदूर को नहीं देखा था। हालांकि वह मौके पर अधबनी ट्रॉली भी मिलना बताता है। अतुल और अरविन्द को मौके पर काम करते हुए बैठी अवस्था में ही दबोच लेना अ0सा0-7 पैरा-23 में कहता है। जो पूर्ण निर्मित आग्नेय शस्त्र जप्त किये गये हैं, उनके संबंध में भी अ0सा0-7 ने पैरा-23 में यह कहा है कि जहाँ उसने आरोपीगण को पकड़ा था उसके पास में ही एक खुला हुआ बक्सा रखा हुआ था जिसमें बने हुए हथियार रखे हुए थे जो बक्से में से निकालकर जप्त किये गये थे। इस बात का उल्लेख उसने जप्ती पत्रक में नहीं किया है। किन्तु एफआईआर में करना वह बताता है जो बक्सा वह 3-4 फीट लंबा चौड़ा बताता है जिसमें और भी सामान था लेकिन

क्या क्या सामान था यह उसने बताने में असमर्थता व्यक्त करते हुए बक्से का अन्य सामान जप्त करने से इन्कार किया है।

57. गुलाबचंद मीणा अ0सा0-3 भी अपने अभिसाक्ष्य में चार कट्टे व एक अधिया मौके से मिलना बताता है औ वह पैरा-7 में यह भी कहता है कि जहाँ आरोपीगण काम कर रहे थे वहाँ से करीब चालीस फीट की दूरी पर बक्सा रखा था। इस तरह से आरोपीगण और बक्से के मध्य की दूरी के संबंध में अवश्य विषंगति है किन्तु वह तकनीकी स्वरूप की नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि जो बालाजी आयरन वर्क्स प्रतिष्ठान, जहाँ से जप्ती की कार्यवाही हुई वह तथा आरोपीगण का निवास एक ही भवन में है।

58. अ0सा0-7 ने यह अवश्य स्वीकार किया है कि उसने मौके की कार्यवाही की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कराई थी। उसके अभिसाक्ष्य में आरक्षक गुलाबचंद मीणा के बैज नंबर के संबंध में भी विरोधाभाष प्रकट हुआ है वह विरोधाभाष इसलिये कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि अ0सा0-7 ने यह भी कहा है कि गुलाबचंद मीणा नामसे केवल एक ही आरक्षक थाना गोहद चौराहा पर उस समय पदस्थ था। गुलाबचंद मीणा से बैज नंबर के संबंध में प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु उससे घटना के मूल दायित्व प्रभावित नहीं होते हैं और आरक्षक क्रमांक में आया अंतर विरचित आरोप को देखते हुए महत्वहीन है। तथा आरोपीगण की पहचान का बिन्दु प्रकरण में उत्पन्न नहीं है इसलिये अ0सा0-3 के पैरा-10 में आरोपी अतुल व अरविन्द की पहचान के संबंध में आये तथ्यों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है।

59. अ0सा0-3 ने मुख्य रूप से अ0सा0-7 द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही का सारतः समर्थन किया है। उसके द्वारा यह अवश्य कहा गया है कि आरोपी अतुल से प्र0पी0-1 में क्रमांक-1 लगायत 10 में क्या क्या उल्लेख करते हुए कार्यवाही की गई और प्र0पी0-2 में आरोपी रविन्द्र से क्रमांक-1 लगायत 9 के रूप में क्या क्या लिखा गया, यह उसे पत नहीं है जो कि स्वाभाविक है। किन्तु वह लिखापढी अपने सामने बताता है। हालांकि उसके कथन में कुछ लिखापढी वह मौके पर और कुछ थाने पर बताता है। कौनसी मौके पर हुई और कौनसी थाने पर हुई, इस बारे में वह भ्रमित है। जबकि अ0सा0-7 मुताबिक प्र0पी0-1 लगायत 4 की कार्यवाही उसके द्वारा मौके पर ही की गई थी। अ0सा0-3 मूलतः जप्ती गिरफ्तारी के बारे में संपुष्टि कर रहा है इसलिये आये विरोधाभाष को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है। न ही उसे घटनाक्रम के संबंध में तात्त्विक स्वरूप का माना जा सकता है। जैसा कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कड़ी आपत्ति तर्कों के माध्यम से व्यक्त की थी इसलिये अ0सा0-3 और अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-1 लगायत 4 की कार्यवाही बाबत समरूपता पाई जाती है।

60. प्रकरण में एएसआई ए0एस0 तोमर अ0सा0-5 एवं ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डे अ0सा0-7 के बालाजी आयरन वर्क्स पर पहुंचने के संबंध में अवश्य विरोधाभाष प्रकट हुआ है क्योंकि घटना दिनांक को उनके मुताबिक ग्राम पिपाहड़ी हेट में गोली चलने की घटना की सूचना मिलना, तथा मणिधारी सर्प की अफवाह फैलने की सूचना भी मिलना बताया गया है। जहाँ वे जाना तो बताते हैं किन्तु अलग-अलग स्थिति में बता रहे हैं। और इस संबंध में उनके कथनों में

विरोधाभाष की स्थिति अवश्य है। बालाजी आयरन वर्क्स पर पहुंचने के संबंध में तथा मौके पर व्यतीत समयावधि के संबंध में भी भिन्नता है किन्तु इस संबंध में आये विरोधाभाष इसलिये महत्वपूर्ण नहीं माने जा सकते हैं कि एएसआई सुभाष पाण्डे अ0सा0-7 के मुताबिक वह मणिधारी सर्प की सूचना के लिये रात को साढ़े नौ बजे जाना बताता है और विचाराधीन मामले की कार्यवाही प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कथानक को देखते हुए शाम 6.15 बजे से लेकर 9.15 बजे के दरम्यान की है। इसी दौरान सूचना प्राप्त होकर मौके पर जाना, कार्यवाही करना, आरोपी अतुल व अरविन्द को जप्त सामग्री सहित गिरफ्तारी उपरान्त थाने लाकर रोजनामचासान्हा में वापसी कर प्र0पी0-6 की एफआईआर दर्ज करने तक की बताई गई है। इस तरह से करीब तीन घण्टे से अधिक का समय व्यतीत हुआ और अ0सा0-7 भी इसी तरह की साक्ष्य देता है कि उसने पूरी कार्यवाही में करीब तीन घण्टा व्यतीत किया था जबकि एएसतोमर अ0सा0-5 मुताबिक वह मौके पर एक घण्टा ही रुकने की बात पैरा-6 में बताता है। ऐसे में उनके साथ जाने या अलग-अलग जाने, मौके की कार्यवाही आदि के संबंध में स्वाभाविक स्वरूप के विरोधाभाष प्रकट होते हैं जो उनकी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय मानने के लिये पर्याप्त नहीं हैं किन्तु एएसतोमर द्वारा इस बात का स्पष्ट समर्थन किया है कि एएसआई सुभाष पाण्डे द्वारा उसके सामने आरोपी अतुल व अरविन्द की अवैध फैक्ट्री जप्त की गई थी और उन्हें मौके पर गिरफ्तार किया गया था जैसा कि प्रतिपरीक्षण के पैरा-6 में उसने बताया है। उसके पैरा-9 मुताबिक मौके पर अधबनी 4-5 ट्रॉली भी रखी पाई गई थीं। ट्रॉली बनाने का प्रतिष्ठान होना निर्विवादित है।

61. एएसआई ए0एस0तोमर अ0सा0-5 जो कि घटना का विवेचक है, ने विवेचना उसे घटना दिनांक को एफआईआर के पश्चात रात साढ़े दस बजे मिलना बताया है। तब उसने साक्षियों के कथन लिये, मौके की कार्यवाही के समय मौके पर भीड़ होने की बात भी आई है किन्तु उसके संबंध में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सुझावों पर विवेचक का यह स्पष्टीकरण रहा है कि प्रत्येक प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं होते हैं तथा आपसी बुराई भलाई या रंजिश से बचने के लिये स्वतंत्र व्यक्ति गवाह नहीं बनते हैं। इससे प्रत्येक कार्यवाही में स्वतंत्र साक्षी के न होने का स्पष्टीकरण मिलता है।

62. अ0सा0-5 पैरा-14 में यह भी कहता है कि उसके सामने जो कट्टे जप्त हुए थे वह बने हुए थे। बक्सा या अलमारी से उसके सामने कट्टों की जप्ती नहीं हुई थी। चूंकि उक्त साक्षी प्र0पी0-1 लगायत 4 का साक्षी नहीं है और मौके पर एक ही घण्टे रुका है लेकिन कितने बजे से कितने बजे तक रुका, यह स्पष्ट नहीं आया है। इसलिये उक्त साक्षी के बक्से से कट्टों की जप्ती न बताये जाने की बात आने से अभियोजन का संपूर्ण मामला न तो खण्डित होता है न ही संदिग्ध माना जा सकता है। उक्त विवेचक ने पैरा-10 में यह भी सुझाव देने पर कहा है कि अनुसंधान के दौरान उसने आरोपीगण के इस घटना के अतिरिक्त अन्य घटना के बारे में जांच पड़ताल की थी तो उसे कोई पता नहीं चला था। यह अवश्य पता चला था कि आरोपीगण के परिवार के राजकुमार ओझा निवासी एण्डोरी भी पूर्व में अवैध कट्टा बनाने के केस में बंद हुआ था जो उनके थाने पर निगरानीशुदा बदमाश है जिसके छः अपराधों का रिकॉर्ड भी होना कहा

है। हालांकि उसका विवरण उसे याद नहीं है और आरोपीगण से उसकी क्या रिश्तेदारी है इस बारे में भी उसे ठीक पता नहीं है।

63. अ0सा0-3 व अ0सा0-5 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अ0सा0-7 के द्वारा बताई गई स्थिति के संबंध में जो विरोधाभास प्रकट भी हुए हैं वे इस श्रेणी के नहीं हैं जो कि पूरी घटना को संदिग्ध बनाते हों। इसलिये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत तर्कों में उठाये गये बिन्दु महत्व नहीं रखते हैं और अभिलेख पर जो समग्र सामग्री तथा साक्ष्य आई है और जो परिस्थितियाँ हैं उससे इस बात की पुष्टि संदेह से परे होती है कि प्र0पी0-1 लगायत 4 की कार्यवाही मौके पर हुई और आरोपी अतुल से प्र0पी0-1 मुताबिक आर्टिकल ए लगायत जे तथा आरोपी अरविन्द से प्र0पी0-2 के जप्ती पत्रक मुताबिक आर्टिकल के लगायत एस जप्त हुए थे जिनमें विवादित उपकरणों के अलावा आग्नेय शस्त्र भी थे। ऐसे में विरचित आरोपों के संबंध में अभियोजन की कहानी आरोपीगण अतुल व अरविन्द के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होती है।
64. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में जो न्याय दृष्टांत पेश किये गये हैं, उनमें 1999 सी0आर0एल0जे0 पेज-19 सुप्रीमकोर्ट संपाल सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ डेल्ही पेश किया है जो कि टाडा एक्ट से संबंधित है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि जहाँ आम जनता के साक्षी उपलब्ध हों, और उसके बावजूद आम जनता के व्यक्तियों को साक्षी नहीं बनाया जा सकता हो तो पुलिस साक्षियों के आधार पर दोषसिद्धि स्थिर नहीं रखी जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में पंच साक्षी के रूप में जनता के व्यक्ति के अ0सा0-1 के रूप में बनाया गया था तथा विवेचक ने स्वतंत्र साक्षियों के संबंध में अपने अभिसाक्ष्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बुराई भलाई रंजिश के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं होता है। घटनास्थल वाले प्रतिष्ठान के आसपास दुकानें होना बताया है किन्तु साथ में यह भी कहा कि आम व्यक्ति गवाही के लिये तैयार नहीं होते हैं। हालांकि विवेचक ने किसी जनता के व्यक्ति को साक्षी बनने को प्रेरित करते हुए धारा-160 दप्रसं के अंतर्गत नोटिस नहीं दिया था। इससे उक्त न्याय दृष्टांत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है।
65. इसी प्रकार न्याय दृष्टांत रामनरेश विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 फर्स्ट एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-69 पेश किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जप्ती का कोई गवाह जनता में से प्रस्तुत न किया गया हो और जप्ती की कहानी ऐसी प्रतीत होती हो कि वह बनाई गई है तो अपराध नहीं बनेगा। ऐसी भी परिस्थिति इस प्रकरण में नहीं है तथा चिन्टू विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 1987 फर्स्ट एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0 115 में भी यही मार्गदर्शन दिया गया है कि न्याय दृष्टांत का मामला डकैती प्रकरण से संबंधित था और उसमें डकैती अधिनियम का अपराध एवं धारा-27 आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया था, उसी साक्ष्य के आधार पर धारा-25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध न किये जाने का मार्गदर्शन दिया गया है। ऐसी परिस्थिति भी इस प्रकरण में नहीं है।
66. उपरोक्त किये गये विश्लेषण मुताबिक मौके की कार्यवाही जिसमें जप्ती व



गिरफ्तारी है, और प्र०पी०-1 लगायत 4 के दस्तावेजों को प्रमाणित माना गया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **वीरसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी० 1988 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-7** में दिया मार्गदर्शन लागू नहीं किया जा सकता है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि यदि परीक्षण कराने पर भी स्वतंत्र साक्षियों से अभिग्रहण की कार्यवाही साबित नहीं हुई हो तो धारा-25 आर्म्स एक्ट का अपराध स्थापित नहीं होगा। उक्त न्याय दृष्टांत की परिस्थिति भी इस मामले से पूर्णतः भिन्न है। इस मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अवैध शस्त्रों के निर्माण का बिन्दु उत्पन्न है। न्याय दृष्टांत के मामले में देशी कट्टा कारतूस आधिपत्यधारी से बरामद मात्र हुआ था और एक ही व्यक्ति था। **लल्लू विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी० 1987 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-226** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि अभियोजन की साक्ष्य परस्पर पूर्ण रूपेण विरोधाभाषी हो तो आरोपी को दण्डित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त किये गये विश्लेषण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अभिलेख पर अभियोजन के प्रस्तुत पुलिस साक्षियों में कुछ बिन्दुओं पर विरोधाभाष अवश्य है किन्तु उनकी साक्ष्य पूर्णरूपेण परस्पर विरोधाभाषी नहीं पाई गई है और मूल कथानक के संबंध में मुख्यतः मौके की कार्यवाही तथा अवैध आग्नेय शस्त्रों व उपकरणों की बरामदगी बाबत एकरूपता के चलते उक्त न्याय दृष्टांत आरोपीगण को प्रकरण में कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

67. इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **बेटन उर्फ रामकिशोर विरुद्ध एम०पी० 1996 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-25** में भी अवैध आयुध कट्टा कारतूस की बरामदगी का मामला था जिसमें इस आधार पर मामले को संदिग्ध माना गया था कि अवैध शस्त्र की जप्ती विधि अनुसार प्रमाणित नहीं की गई थी जबकि हस्तगत मामले में जप्ती कार्यवाही के बारे में अभियोजन की विश्वसनीय साक्ष्य पाई जाने से उक्त न्याय दृष्टांत प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है। तथा न्याय दृष्टांत **नरसी विरुद्ध स्टेट ऑफ़ हरियाणा 1999 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन० 11 (एस०सी०)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि अभियुक्त के द्वारा यदि थाने पर जाकर समर्पण किया जाता है और गिरफ्तारी किये जाते समय उसके कब्जे से अवैध आग्नेय शस्त्र देशी पिस्तौल व कारतूस पाये जाते हैं तो ऐसे में अभिग्रहण की कार्यवाही के लिये स्वतंत्र साक्षी बुलाने चाहिए। इस मामले में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आरोपी द्वारा थाने पर समर्पण करते समय कोई आग्नेय शस्त्र बरामद हुआ हो अर्थात् उक्त न्याय दृष्टांत इस वर्तमान प्रकरण के कथानक से पूर्णतः भिन्न रखने के कारण न्याय दृष्टांत का कोई लाभ आरोपीगण को प्राप्त नहीं हो सकता है। और न्याय दृष्टांत के मामले में भी टाडा एक्ट से संबंधित अपराध था।

68. अन्य प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **राकेश विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी० 2005 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-46** में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि यदि जप्ती पत्रक स्वतंत्र साक्षियों से समर्थित न हो और पुलिस साक्षी एकदूसरे की पुष्टि न करते हों तो आयुध अधिनियम का मामला संदिग्ध होगा। उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में आरोपी

के द्वारा गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में भागते हुए गोली चलाई गई थी जिस पर से हत्या के प्रयत्न के मामले सहित आयुध अधिनियम के अंतर्गत कायमी हुई थी। ऐसी परिस्थिति भी इस प्रकरण में नहीं है और स्वतंत्र साक्ष्य से जप्ती का समर्थन अवश्य नहीं है किन्तु जो अन्य पुलिस साक्षी हैं, उनके कथनों में जप्ती पत्रक के संबंध में और अवैध आग्नेय शस्त्र व उपकरणों के अधिग्रहण के संबंध में एक दूसरे की पुष्टि की गई है इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत का आरोपीगण को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

69. अन्य न्याय दृष्टांत महेश विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2009 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0 97 भी डकैती से संबंधित प्रकरण था जिसमें आरोपी से कट्टा जप्त हुआ था जिसे खुली स्थिति में परीक्षण के लिये भेजा गया था। अभिग्रहण के पन्द्रह दिन बाद भेजा गया था और इस दौरान किस दशा में पड़ा रहा, यह साबित नहीं था। इस आधार पर मामले को संदिग्ध माना गया था और उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में परिवादी और विवेचक एक ही पुलिस अधिकारी था। इस तरह की भी कोई परिस्थिति विचारण प्रकरण में नहीं पाई गई है। तथा परिवादी अ0सा0-7 व विवेचक अ0सा0-5 से जप्त आग्नेय शस्त्र व उपकरणों की जप्ती के पश्चात उन्हें रोके जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं लिया गया है। हालांकि प्र0पीव0-7 की जांच रिपोर्ट अवश्य घटना दिनांक 15.03.13 के बाद दिनांक 05.04.13 की है।

70. अतः उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया जाता है कि आरोपीगण अतुल एवं अरविन्द के द्वारा दिनांक 15.03.13 को शाम के समय अपनी बालाजी आयरन वर्क्स गोहद रोड थाना गोहद चौराहा पर जप्त उपकरणों के माध्यम से अवैध आग्नेय शस्त्र का विनिर्माण, वगैर वैध अनुज्ञप्ति के किया गया था जो कि आयुध अधिनियम 1959 की धारा-7 का स्पष्ट उल्लंघन है। फलतः अभियोजन का मामला आरोपीगण अतुल व अरविन्द के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित मानते हुए उन्हें आयुध अधिनियम की धारा-धारा 25-1(1)(क)(क) आयुध अधिनियम 1959 में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण में आरोपीगण अतुल व अरविन्द अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ पाने के भी पात्र होना प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि अवैध शस्त्रों की विनिर्माण की गतिविधि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

दण्डाज्ञा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

—::—दण्डाज्ञा—::—

71. दण्डाज्ञा के प्रश्न पर आरोपीगण अतुल एवं अरविन्द के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए.जी.पी. के तर्क सुने गये। आरोपीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह व्यक्त किया है कि आरोपीगण नवयुवक हैं तथा निजी व्यवसाय करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, और वे प्रथम अपराधी हैं तथा उन्होंने

अभियोजन का नियमित रूप से उपस्थित रहकर पूर्ण सामना किया है तथा विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में भी रहे हैं। इसलिये उन्हें भोगी गयी न्यायिक निरोध की अवधि से भी दण्डित कर छोड़ दिया जावे या अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ दिया जावे। अन्यथा उनका परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ जायेगा। जबकि विद्वान ए.जी.पी. वे विरोध करते हुए कड़ा दण्ड दिये जाने की प्रार्थना की है।

72. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के दण्डाज्ञा पर किए गये तर्कों पर चिन्तन मनन किया गया। अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों पर भी विचार किया गया। यह सही है कि अभिलेख पर दोषसिद्ध आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई प्रमाण न होने से उनके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है तथा उनका पूर्वतन कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं बताया गया है, किन्तु दोषसिद्ध अपराध में अवैध आग्नेय शस्त्रों के विनिर्माण का मामला प्रकाश में आया है, जिसे साधारण अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है तथा अवैध आग्नेय शस्त्रों के इस तरह के निर्माण को विधि में कोई अनुमति वगैर वैध अनुज्ञप्ति के नहीं है तथा वर्तमान समय में अवैध आग्नेय शस्त्रों को धारण कर चलने का प्रचलन फैशन की तरह हो चला है, स्थानीय परिवेश में इस तरह की प्रवृत्ति बहुतायत में पायी जा रही है, जिसे हतोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आम व्यक्ति समाज में सुरक्षित महसूस कर सके और अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके।

73. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है कि अपराध की प्रकृति के आधार पर यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिये ताकि समाज में उसका उचित संदेश जाये और अपराध करने वालों का मनोबल टूटे। ताकि समाज सुरक्षित रह सके तथा विधि की समाज में पृतिष्ठा कायम हो सके। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **यूनियन ऑफ इण्डिया विरुद्ध कुलदीप सिंह 2004 वॉल्यूम-11। एस.सी.सी. पेज-590 एवं स्टेट ऑफ एम.पी. विरुद्ध मुन्ना चौबे 2005 वॉल्यूम-03 जे.एल.जे.(एस.सी.) पेज-277** अवलोकनीय हैं।

74. अवैध आग्नेय शस्त्रों के निर्माण व उनकी आसानी से उपलब्धता के कारण अनेक तरह के बंदी अपराध हत्या, लूट डकैती, उद्योगपति जैसे अधिक संख्या में प्रकाश में आ रहे हैं इस दृष्टि से भी मामले में दोषसिद्ध आरोपीगण के संबंध में उनके नवयुवक होने या प्रथम अपराधी होने के आधार पर उदारता का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। इसलिये भोगी गयी न्यायिक निरोध की अवधि भी उचित व पर्याप्त दण्डादेश की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती है तथा दोषसिद्ध अपराध में केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर भी उन्मुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25 (1) (1-क क) में उक्त अधिनियम की धारा-7 के उल्लंघन के **सात वर्ष के सश्रम कारावास से आजीवन कारावास तक अर्थदण्ड सहित** दण्डादेश का प्रावधान है। अर्थात् **सात वर्ष न्यूनतम कारावासीय दण्ड अपेक्षित है**। ऐसी स्थिति में भी आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता की दण्डाज्ञा के संबंध में की गयी प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है।

75. फलतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात

आरोपीगण अतुल व अरविंद को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-7 के उल्लंघन के लिए उक्त अधिनियम की धारा-25 (1) (1-क क) में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा ना होने पर व्यतिक्रम में छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे ।

76. सजा वारण्ट बनाया जावे एवं धारा-428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक आरोपी अतुल द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी दिनांक-18/3/2013 से दिनांक-15/05/2013 तक एवं आरोपी अरविंद द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी दिनांक-18/03/2013 से 16/05/2013 तक की अवधि समायोजित की जावे, प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो ।

77. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गये ।

78. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति प्रदर्श पी.-1 व 2 मुताबिक आर्टिकल ए लगायत-एस जिनमें पांच आग्नेय शस्त्र हैं, शेष उनके विनिर्माण से संबंधित उपकरण बताये गये हैं इसलिये समस्त संपत्ति अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण के लिए जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावें ।

79. निर्णय की प्रति आरोपीगण अतुल व अरविंद को निशुल्क प्रदान की गयी ।

80. निर्णय की एक प्रति डी.एम. भिण्ड की ओर भेजी जावे ।

दिनांक: 04 सितंबर 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)